

(50)

U.P. Government by (Regd.)
Established Date 06-01-1990 (1989-90)

Reg. No. 1427

Work Area - U.P. & India

Mob. : 7060247221, 8979543106

President Office Committee

SHARDA VYA GRAM KHANDRA GRAMODHYOG VIKAS SAMITI

LOYABADSHAPUR, POST-KHAS, DISTT-ETAH, BY CONDUCTED



HEAD OFFICE

U.P. Schedule Cast / Backword Cast, Vikas Organization

G.T. Road, Borana Near Highway Chauraha, Post-Panethi, Distt-Aligarh-202002 (U.P.)

President - R.B. VERMA

Ref. No. 3341

Dated १५/०६/१९

सेवा मे.

श्रीमान ग्रामेश्वरनाथ गोप्तव्य,
उपसचिव (अनुसूचित जाति विकास)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय
भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली।

दिव्यय:- भारतीय आवीण केंद्र ग्रामोद्योग विकास समिति के कार्यवाही के सम्बन्ध मे।

महोदय, बादरपौर,

कृपया उपर्युक्त विषय के प्रति से महोदय जी को अवगत करना है। उक्त समिति की प्रबाली आपके मन्त्रालय के पथ की पत्रांक 11020/55/2008 एस.सी.डी. 111 दिनांक 23/6/2008 के क्रम मे बिल्डिंग सहस्रांश से धधो से बिडिट है। आपके मन्त्रालय मे कईबार सम्पर्क किया जोई सुनबाई नहीं की गयी। उक्त समिति के खारें कलापो के प्रति उच्च न्यायालय प्रवागराज/इताहाओर की शरण मे गया उच्च न्यायालय क्रमांक नं 32 लेज़ रिट्रायबिल तो नं 12909/2019 उक्त समिति के प्रति दिनांक 15/4/2019 की न्याय लाइन जी की प्रति रोकन है। अप्रक्ष के पथ की पत्रांक 3368 दिनांक 24/4/2019 को नेत्रायिकारी फो उच्च न्यायालय की भासली ग्रामीण स्ट्रीट पोर्ट से अवगत करना।

उच्च न्यायालय जोर्ट नं 10 फैश कन्ट्रम प्रारंभन पत्र (संघित) नं 4903 और 2019 पार्टीय अजय चौधरी लेप्पायिकारी के प्रति उच्च न्यायालय को समय 15.16/9/2019 तक है मन्त्रालय हासा समिति के अध्यक्ष को किसी प्रकार से अवगत नहीं करा गया न्याय अद्यता को प्रति संतुष्ट है। अप्रक्षी मामल मूला होगी।

संलग्न 6/

आवाहन
अर. बी. वर्मा
अध्यक्ष (समिति)

उपर्युक्त राजनीति कार्यवाही में प्रतिलिपि

1. सेवा मे,

मानवीय संवित गोप्तव्य
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय
भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली।

2. सेवा मे,

मानवीय संवित गोप्तव्य (अनुसूचित जाति विकास)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय
भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली।

3. सेवा मे,

मानवीय सेवायिकारी
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय
भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली।

आक्षय
१०.८.२०१९
अर. बी. वर्मा
अध्यक्ष (समिति)



30 प्र० सरकार द्वारा (रजि०)
 स्थापित वर्ष दिनांक 06-01-1990 (1989-90)
 पंजीयन सं. - 1427
 कार्यक्षेत्र - 30प्र० एवं भारत वर्ष
 मो० 7060247221, 8979543081, 8979543106

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति



लोयाबादशाहपुर, पोस्ट - खास, जनपद-एटा द्वारा संचालित

प्रधान - कार्यालय

उत्तर प्रदेश, अनुसूचित जाति / पिछड़ी जाति विकास संस्थान
 बाबूजी मार्केट ॥ वैष्णो धाम के सामने ॥, एटा चुंगी, जी.टी. रोड, अलीगढ़

संघर्ष - आर० बी० वर्मा

दिनांक 6/1/2011

दिनांक 27/6/2017

सेवा में

श्रीमाननीय राजवीर सिंह (राजू भैया)
 पूर्व स्वास्थ्य मंत्री (उ.प्र.)
 संसद सदस्य
 लोक-सभा
 22-एटा (उ.प्र.)

विषय-

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति लोयाबादशाहपुर पोस्ट-खास विकास खण्ड गोललपुर जनपद-एटा आपके क्षेत्र के अन्तर्गत आती है।

महोदय, आदरणीय,

कृपया उपर्युक्त विषय के प्रति श्रीमान जी महोदय को अवगत करा रहा हूं, विनु वाई द्वारा से भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास लोयाबादशाहपुर पोस्ट-खास जनपद-एटा द्वारा उ.प्र. सरकार से दिनांक 6/1/1990 वर्ष (1989-90) से रजि० है।

अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार शास्त्री भवन नई दिल्ली की फाइल संख्या 11020/55/2008 एस.सी.डी. तृतीय दिनांक 23/6/2008 के क्रम में आर्थिक सलायता अवमुक्त किये जाने हेतु कार्यवाही चल रही है।

- प्रमुख सचिव उ.प्र. शासन समाज कल्याण की बल्टीडिस्पनरी ग्रान्ट इन एड कमेटी राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव संस्तुति कराने हेतु प्रेषित किया गया।
- विशेष सचिव उ.प्र. शासन समाज कल्याण अनुमान-2 के सं.3320/26/8/100(37)2000 दी.सी.-1 दिनांक 26/12/2008 द्वारा आन्ट इन एड कमेटी की बैठक 18/12/2008 समिति की संस्तुति सहित कार्यवाही संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार शास्त्री भवन नई दिल्ली को प्रविष्ट की गयी।
- भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति के लिए की गयी समिति की संस्तुति प्रदर्शित है पुनः विशेष सचिव उ.प्र. शासन समाज कल्याण अनुमान-2 के पत्रांक 1477/26/2/2010 दिनांक 26/5/2010 द्वारा संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार शास्त्री भवन नई दिल्ली हमारी संस्था के प्रस्तावित कार्यक्रमों हेतु ग्रान्ट इन एड कमेटी द्वारा संस्तुति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराये जाने के पश्चात दिनांक 9,10 जूलाई 2010 को सम्पन्न मन्त्रालय की स्कीनिंग कमेटी की बैठक में संस्था को अनुदानित किये जाने हेतु प्रस्ताव किया गया किन्तु प्रस्तुतकर्ता द्वारा संस्था का फजीयन प्रमाण-पत्र दिनांक 6/1/2010 तक बैध होने के सम्बन्ध में टिक्की की गयी। जब की प्रश्नगत पञ्चियन प्रमाण-पत्र दिनांक 6/1/2010 से आगामी पांच वर्षों के लिये नवीनीकृत किया गया जो दिनांक 6/1/2015 तक बैध था।



4. श्री एम.ए.मुरली धरन पुर्व उप सचिव-सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार शास्त्री भवन नई दिल्ली के अधोहस्ताक्षर कर्ता को सम्बोधित दिनांक 8/8/2013 द्वारा अवगत कराया गया कि पंजीयन प्रमाण-पत्र की वैधता दिनांक 6/1/2010 को समाप्त हो चुकी है, और संस्था की निरीक्षण अख्या 5 वर्ष की जानकारी दी है, यहां उल्लेखनीय है, कि संस्था का पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा संस्था की निरीक्षण अख्या दोनों ही स्कीनिंग कमेटी की बैठक में रखने से समय तक बैथ/विधिमान्य थी इस प्रकार मन्त्रालय की कमी होने के कारण जनवृद्धकर संस्था का प्रस्ताव स्कीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करते समय प्रस्तुतकर्ता द्वारा अधिकारिक पूर्ण टिप्पणी किये जाने के फल स्वरूप संस्था एवं अन्ततः अनुसूचित जालियों के हितों पर उदाराधात हो गया।
5. चूंकि पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं निरीक्षण अख्या बैध थे। मन्त्रालय की स्कीनिंग कमेटी की बैठक की सूची में समिति का नाम पत्रांक 288 पर अकिंत था बैठक दिनांक 26,27/9/2013 में संस्था अनुदानित किये जाने हेतु प्रस्ताव किया गया, राज्य सरकार की ग्रान्ट इन एड कमेटी की संस्तुति के आधार पर स्कीनिंग कमेटी के द्वारा संस्था को अनुदानित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। इसी क्रम में उपसचिव उ.प्र. शासन समाज कल्याण अनुभाग-2 के संख्या 258/26/2/2015 दिनांक 25 फरवरी 2015 द्वारा उप सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार शास्त्री भवन नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
6. निदेशक समाज कल्याण उ.प्र. द्वारा वर्ष 2004-2005 के प्रेषित निरीक्षण अख्या को यथावत मानते हुए की गयी संस्तुति एवं अध्यतन नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रतिया आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी लिखित मामले में अनुदान अवमुक्त करने हेतु मेरे अनुरोध पत्र को माननीय डा० थावरचन्द गेहलोत मन्त्री जी के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु योगेश कुमार उपाध्याय मन्त्री जी के निजी सचिव द्वारा संयुक्त सचिव (अनुसूचित जाति विकास) भारत सरकार को भेजे जाने की जानकारी से समिति के अध्यक्ष को भी अवगत कराया। पत्र की पत्रांक 440 दिनांक 14/9/2016 में।
7. मन्त्रालय की स्कीनिंग कमेटी द्वारा दिनांक 26,27/9/2013 में चार संस्थाओं के प्रस्तावों को स्वीकृत की गयी।

- 1- Lakshmi mahil madal, D.No. Dispensary 28-714 Boya Street, Nagar, Anantpur AP.
2. भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति लोयावादशाहपुर पोस्ट-खास जनपद-एटा (उ.प्र.)
- 3- Swabhimaan Education, Hittiyur, Chitradurga, District-karnataka.
4. Gramin Youva vikas mandal, Gali No. 1 Near babaji mandir, Rojound Pundhir Road V.P.O Sserdha Distt kaithal, (Haryana)

उक्त तीन संस्थाओं को मन्त्रालय से वर्ष (2014-2015) से अनुदानित किया जा रहा है। अनुसूचित जाति का होने के नाते मामले को विलम्बित किया जा रहा है। माननीय मन्त्री जी से दिनांक 23/2/2017 को मन्त्रालय जाकर सम्पर्क किया। तथा कई बार पत्रों द्वारा मन्त्रीयों एवं सचिव/संयुक्त सचिव/अनुसचिव को उक्त प्रकरण के प्रति से अवगत कराया। उक्त समिति पर औनलाइन होने का कोई उचित नहीं बनता है।

आपके शहर अलीगढ़ में प्रधान कार्यालय बाबूजी मार्केट बैण्डो धाम के सामने एटा चुंगी जी.टी.रोड़ अलीगढ़ में 5 अप्रैल 2015 से हित है।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध कर रहा हूँ। संलग्न पत्रों को अपने संज्ञान में लाते हुए श्रीमाननीय डा० थावरचन्द गेहलोत मन्त्री जी उक्त समिति के विकास कार्यों हेतु अनुदानित वित्त पोषित सहायता हेतु प्रभावी निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करे ताकि समिति उक्त वर्ष के निर्बल परिवारों में विकास कर सके। आपका जीवन भर आभारी रहूगा। आपकी महान कृपा होगी।

सदर

सुलग्नक प्रतिया

२५

आपका

रामबाबू वर्मा पूर्व प्रधान
पता-मकान नं. 1/29F उमानगर
अम्बेडकर कलानी बन्द गली नं.03
पीली कोठी के प्रस्त-पोस्ट भद्रशी अलीगढ़



३० प्र० सरकार द्वारा (रजिं०)
 रथापित वर्ष दिनांक ०६-०१-१९९० (१९८९-९०)
 पंजीयन सं. - १४२७
 कार्यदेश - ३०प्र० एवं भारत वर्ष
 नॉ० ७०६०२४७२२१, ८९७९५४३०८१

२०६०

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति

लोयाबादशहपुर, पोस्ट - खास, जबलपुर-एटा द्वारा संचालित

प्रधान - कार्यालय

उत्तर प्रदेश, अनुसूचित जाति / पिछड़ी जाति विकास संस्थान
 बाबूजी मार्केट, ॥ वैष्णव धाम के सामने ॥ एटा बुंगी, जी.टी. रोड, अलीगढ़

अद्यता - आर० बी० वर्ष।

पत्रांक ५९१

दिनांक ०८/११/०१७



सेवा में,

श्री रामदास अठावले महोदय
 सामाजिक राज्य मंत्री जी
 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
 शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

(R.K.)
 ०८/०१/१७

विषय -

अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु प्रभाइल संस्था - ११०२०/५५/२००८ - एस०सी०
डी० III के अन्तर्गत गैर सरकारी संस्था को आर्थिक सहायता अवमुक्त किये जाने के
सम्बन्ध में।

आदरणीय महोदय,

उपर्युक्त विषय को और आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि ३०प्र० शासन कल्याण अनुभाग-२ के पत्रांक २६३५/२६-२-२००४ दिनांक ०९-१०-२००४ के द्वारा निर्देशक समाज कल्याण ३०प्र० से संस्था के सम्बन्ध में आख्या /संस्तुति चाही गयी थी, तत् क्रम में निर्देशक समाज कल्याण ३०प्र० के पत्रांक ३३८ /स०क० /अनु० /२००४-०५ दिनांक २९-१०-२००४ एवं भारत सरकार के पत्रांक १७०२०/१२-९१ -आर०सौ०/एस०सी०डी० III दिनांक ०१-१०-९१ के परिपालन में सुख्य विकास अधिकारी फर्मखानाद द्वारा निर्देशक समाज कल्याण ३०प्र० को जिला समाज कल्याण अधिकारी फर्मखानाद की संस्था के क्रिया-कलापों सम्बन्धी जांच आख्या भेजते हुए वर्ष १९९१-९२ से वर्ष २००४-०५ तक के सततीकरण /केन्द्रीय अनुदान स्वीकृति हेतु संस्तुति की गयी थी जो ३०प्र० शासन के पत्रांक ६०एम०/२६-२-२००७-१ (३८) /९८ दिनांक २८-०६-२००७ द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयी। तदृपरान्त श्री एल०मरान्डी अनुसंधान भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक ११०२०/५५/२००८ -एस०सी०डी० III दिनांक २३-०६-२००८ द्वारा प्रमुख सचिव समाज कल्याण ३०प्र० शासन के महंडी डिस्पलनरी ग्रान्ट इन एड कमेटी राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव संस्तुति कराने हेतु प्रेषित किया गया। विशेष सचिव ३०प्र० शासन समाज कल्याण अनुभाग -२ के स० ३३२०/२६-२-८-१०० (७३) /२००० टी०सी० -१ दिनांक २६-१२-२००८ द्वारा ग्रान्ट इन एड कमेटी की बैठक दिनांक १८-१२-२००८ में समिति की संस्तुति सहित कार्यवाही संयुक्त सचिव भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली को प्रेषित की गयी। जिसके संलग्नक पृष्ठ ३ के भाग बी पर भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति के लिए की गयी समिति की संस्तुति प्रदर्शित है। सुन: ३०प्र० शासन के पत्रांक १६७७ /२६-२-२०१० दिनांक २६-०५-२०१० द्वारा संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हमारी संस्था के प्रस्तावित कार्यक्रमों हेतु ग्रान्ट इन एड कमेटी द्वारा संस्तुति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराये जाने के पश्चात् दिनांक ०९ एवं १० जुलाई, २०१० को सम्पन्न मंत्रालय की स्कोरिंग कमेटी की संस्था को अनुदानित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। किन्तु प्रस्तुतकर्ता द्वारा संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक ०६-०१-२०१० तक बैश्य होने के सम्बन्ध में टिप्पणी की गयी, जबकि प्रश्नगत पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक ०६-०१-२०१० से आगामी पांच वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था जो दिनांक ०६-०१-२०१५ तक बैश्य था।

श्री एम०ए० मुरलीधरन उपसचिव भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली के अधोहस्ताकरकर्ता को सम्बोधित दिनांक ०८-०८-२०१३ द्वारा अवगत कराया गया कि पंजीयन प्रमाण पत्र की वैध्यता दिनांक ०६-०१-२०१० को समाप्त हो चुकी है तथा संस्था की निरीक्षण प्रमाण पत्र तथा संस्था की निरीक्षण आख्या दोनों ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में रखने के समय तक वैद्य /विधिमान्य थी। इस प्रकार जानबूझकर संस्था का प्रस्ताव स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करते समय प्रस्तुतकर्ता द्वारा अविवेक पूर्ण टिप्पणी किये जाने के फलस्वरूप संस्था एवं अन्ततः अनुसूचित जातियों के हितों पर डंठाराधात हो गया।

चूंकि पंजीयन प्रमाण पत्र एवं निरीक्षण आख्या वैद्य थे, इसलिए मेरे अनुरोध पर दिनांक २६ एवं २७ सितम्बर, २०१३ को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मेरी संस्था को अनुदानित किये जाने हेतु प्रस्ताव किया गया। राज्य ग्रान्ट इन एड कमेटी की संस्तुति के आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा संस्था को अनुदानित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। इसी क्रम में उपसचिव उप्र० उपसचिव भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली को निदेशक समाज कल्याण उप्र० द्वारा वर्ष २००४-०५ में प्रेषित निरीक्षण आख्या को यथावत मानते हुए की गयी संस्तुति एवं अध्ययतन नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण पत्र आदि की प्रतियाँ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी। लम्बित मामले में अनुदान अवमुक्त करने हेतु मेरे अनुरोध पत्र को माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु संयुक्त सचिव (अनुसूचित जाति विकास) भारत सरकार को भेजे जाने की जानकारी पत्र दिनांक १४-०९-२०१६ अनेग्जर - १४ द्वारा दी गयी।

दिनांक ०६-१२-२०१६ को श्री मनोज झां अनुसूचिव भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली से सम्पर्क करने पर उन्होंने शीघ्र सहायता राशि अवमुक्त कराये जाने हेतु आश्वस्त किया गया। दिनांक २१-१२-२०१६ को पुनः सम्पर्क के दौरान श्री मनोज झां द्वारा प्रस्ताव ऑन लाइन भिजवाने हेतु कहा गया, जबकि स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा दि० २६, २७ सितम्बर, २०१३ को स्वीकृत चार संस्थाओं के प्रस्तावों में से ३ पर अनुदान अवमुक्त किया जा चुका है। किन्तु प्रार्थी अनुसूचित जाति का होने के नाते उसके मामले को लिलम्बित किया जा रहा है। दिनांक २२-१२-२०१६ को अनुदान अवमुक्त किये जाने हेतु माननीय मंत्री महोदय एवं सचिव भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली को पुनः अनुरोध किया गया। उपरोक्त स्थिति के क्रम में क्रमवार अनेग्जर - १ से १५ कुल पृष्ठ-२९ संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि मेरी संस्था को स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्वीकृति के अनुरूप अनुदान अवमुक्त करने हेतु प्रभावी निर्देश प्रसारित करने का काष्ट करें। संस्था अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु दृढ़ संकल्पित है।

भवतु सब्व मंगलम्।

संलग्नकृ- यथो -१९७

भवदीय,



30 प्र० सरकार द्वारा (रजि०)
 रचयित वर्ष दिवांक 06-01-1990 (1989-90)
 पंजीयन सं. - 1427
 कार्यक्षेत्र - 30प्र० एवं भारत वर्ष
 मो० 7060247221, 8979543081

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति

लोयाबादशाहपुर, पोस्ट - खास, जनपद-एटा द्वारा संचालित

प्रधान - कार्यालय

उत्तर प्रदेश, अबुसूदित जाति / पिछड़ी जाति विकास संस्थान
 बाबूजी मार्केट, ॥ वैष्ण धाम के सामने ॥ एटा चुंगी, जी.टी. रोड, अलीगढ़

मान्दा - जारूर दर्ता

पत्रांक. ८५४

दिनांक. 17/4/2017



सेवा में

शमशूरण महोदय जी
 अनुसंधित (एस.सी.डी.तृतीय)
 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय
 भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली।

विषय:-

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति पत्रावली काइल नं. 11020/55/2008 एस.सी.डी.तृतीय दिनांक
 23/6/2008 को अवमुक्त सहायता के सम्बन्ध में।

आदरणीय, महोदय

कृपया उपर्युक्त विषय के प्रति श्रीमान जी को अवगत करा रहा हूँ। सलान पत्रों को अपने संज्ञान लाते हुए। नन्दालल की स्फीरिंग कमेटी की बैठक की सूची में उक्त समिति का नाम क्रम सं. 288 पर अंकित है, बैठक कि दिनांक 9.10.7/2010 तथा द्वितीय बैठक की दिनांक 26.27/9/2013 के पत्र को देखते हुये। पत्रावली पर कार्यवाली कर आगे को प्रस्तुत की जाये। ताकि वित्त पोषित सहायता वर्ष (2017-2018) में प्राप्त कर समिति कार्य करा सके। आपकी महान कृपा होगी।

सर्वमन वयोधारी

फोटो प्रतिया. f.77

सादर

आपका

रामबाबू दर्मा पूब प्रधान

1. निवासी पोस्ट- लोयाबादशाहपुर
 जनपद-एटा-उ.प्र.

2. वर्तमान निवासी- 1/29F उमानगर
 अम्बेडकर कालीनी बन्द गली नं. 3
 पीली कोठी के पास- पोस्ट घटेशी
 जनपद-अलीगढ़ उ.प्र.

30 प्र० सरकार द्वारा (रजिं०)
स्थापित वर्ष दिवांक 06-01-1990 (1989-90)
पंजीयन सं. - 1427
कार्यक्षेत्र - ३०प्र० एवं भारत वर्ष
मो० 7060247221, 8979543081

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति

लोयाबादशाहपुर, पोरट - खास, जबपद-एटा द्वारा संचालित
प्रधान - कार्यालय

उत्तर प्रदेश, अबुसूचित जाति / पिछड़ी जाति विकास संस्थान
बाबूजी मार्केट, ॥ वैष्णव धाम के सामने ॥ एटा चुंगी, जी.टी. रोड, अलीगढ़

अध्यक्ष - आर० बी० वर्मा

पत्रांक.....


दिनांक.....



आर० बी० वर्मा अध्यक्ष समिति द्वारा प्रमाण पत्र

केनरा बैंक सिविल लाइन (मुख्य) एटा करेन्ट खाता नं. 0372201001006
चैक द्वारा भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति लोयाबादशाहपुर
पोस्ट खास जनपद एटा के नाम.

भवदीय


आर० बी० वर्मा

अध्यक्ष (समिति)

आर० बी० वर्मा
अध्यक्ष

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति
लोयाबाद शहर पोरट खास
जनपद एटा (उ०प्र०)

U.P. Government by (Regd.)
Established Date 06-01-1990 (1989-90)
Reg. No. 1427

Work Area - U.P. & India
70/7307&61 Mob. : 7080247221, 8979543081, 8979543106

BHARTIYA GRAMIN SHETRA GRAMODHYOG VIKAS SAMITI

LOYABADSHAPUR, POST-KHAS, DISTT-ETAH, BY CONDUCTED

HEAD OFFICE

Babuji Market, II Infront of Vaishno Dham II, Eath Chungi, G.T. Road, ALIGARH (U.P.)
President - R.B. VERMA

1021

Dated 13-6-18

सेवा में,

श्रीमान श्री थॉवरचन्द गहलौत जी
माननीय मंत्री जी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार, शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110001



विषय: भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग दिकास समिति के प्रस्ताव के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के कल्याण डेत् मंत्रालय में फाईल सं. 11020/55/2008 एस.सी. डी-111 दिनांक 23.06.2008 के क्रम में समिति को आर्थिक सहायता अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में पुनः अवलोकन हेतु।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि आपके पत्र सं. E-Office/123902 MSJ&E dated 06-09-2017 जो कि श्री राजबीर सिंह पूर्व स्वास्थ्य मंत्री उप्र०, संसद लोकसभा, 31 पं. रवि शक्ति शुक्ल लेन, नई दिल्ली को लिखा गया था। उस पर आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिसके कलापन हमारी संस्था के कर्मचारीगण बहुत ही दयनीय हालातों में जीवन यापन कर रहे हैं। कृपया इस विषय में पुनः अवलोकन कर समुचित आदेश जारी करवाने का कष्ट करें।

आपकी महान कृपा होगी।



भवदीय

30 प्र० सरकार द्वारा (रजि०) -
स्थापित वर्ष दिनांक 06-01-1990 (1989-90)
पंजीयन सं. - 1427
कार्यशेत्र - 30 प्र० एवं भारत वर्ष
मो० 7060247221, 8979543081, 8979543106

भारतीय ग्रामीण केंद्र ग्रामोद्योग विकास समिति



अध्यक्ष - आर० बी० दर्मा

पत्रांक..... ८२

To,

दिनांक ३।।८।।५।।७

Ms G. Lathakrishna Rao,
Secretary (SJ&E),
Ministry of Social Justice and Empowerment,
(Department of Social Justice and Empowerment),
Wing, Shastri Bhavan, New Delhi- 110001.

Subject:- Release of financial assistance to Non-Governmental Organization , Bhartiya Gramin Kshetra Gramouddyog Vikas Samiti, Jayanarayan Verma Road, Fatehgarh, District- Farukhabad, Uttar Pradesh under the scheme of welfare of Scheduled Castes - F. No. 11020/55/2008- SCD-III

Madam,

I beg to submit the following facts for your kind consideration and necessary action in the matter:-

1. The proposal of the organization, Bhartiya Gramin Kshetra Gramouddyog Vikas Samiti, Jayanarayan Verma Road, Fatehgarh, District- Farukhabad, Uttar Pradesh was approved/recommended by the project sanctioning Committee of Government of Uttar Pradesh and forwarded to the Ministry alongwith their recommendation and inspection report during the year, 2008 for release of financial assistance to implement the following programmes for Scheduled Caste in 50 (Fifty) District under the scheme of assistance of voluntary organizations working for the welfare of Scheduled Castes.

- (i) Computer training.
- (ii) Beauty Parlor
- (iii) Cutting tailoring
- (iv) Non- residential school.
- (v) Carpentry

- (vi) Mobile dispensary
- (vii) 25 bedded hospital.

2. The Govt. of Uttar Pradesh had clarified the all queries/observations raised by the Ministry with regard to functioning of the above organization. In this regard, the State Govt. of Uttar Pradesh has submitted all requisite papers/documents as required by SCD-III Section.

3. The proposal of the Bhartiya Gramin Kshetra Gramouddyog Vikas Samiti, Jayanarayan Verma Road, Fatehgarh, District- Farukhabad, Uttar Pradesh was placed at Sl.No. 288 before the project Sectioning/ Screening Committee of the Ministry in its meeting held on 9th & 10th July, 2010 and rejected on the grounds that the Registration Certificate of the organization was valid upto 06-01-2010 and the inspection report was five year old. In this regard, the organization had clarified that the Registration Certificate of the organization was valid up to 5th January, 2015 w.e.f 06-01-2010 for a period of five years whereas inspection report was 2 (two) years old.

4. As per the observation of the Ministry, the state Government of Uttar Pradesh had again forwarded all papers/ documents of the organization vide letter dated 30th January, 2015 for consideration for release of grant in aid.

5. Further, it is to inform that the screening Committee constituted for sanction of grant-in-aid to voluntary organizations working for Scheduled Caste had approved the proposals of following organization out of which the three organizations have already received the financial assistance and our organization, Bhartiya Gramin Kshetra Gramodhyog Samiti, Etah, U.P have not received any financial assistance from the Ministry till date. It is injustice with our organization.

- (i) Laxmi Mahil Mandal, Anantpur, Andhra Pradesh.
- (ii) Bhartiya Gramin Kshetra Gramodhyog Samiti, Etah, U.P.
- (iii) Swabhman Education Society, Karnataka.
- (iv) Gramin Yuva Vikash Mandal, Kaithal, Haryana.

6. In view of the position explained above, It is therefore requested that the concerned Joint Secretary may be directed to consider our proposal and release the Grant in Aid /financial assistance as per the provision of the scheme of assistance to voluntary organizations working in the Scheduled for implementation of the 7 (seven) programmes in 50 Districts.

मिली

२८

Yours Faith fully

राम बबू वर्मा
(Ram Babu Verma)
president



भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति
लोयाबादशाहपुर पोस्ट-खास, जनपद-एटा
द्वारा संचालित

उ0प्र0 सरकार द्वारा (रजिओ)
स्थापित वर्ष-(1989-90)
दिनांक (6.1.1990)
पंजीयन सं0 - 1427
कार्य क्षेत्र उ0प्र0 भारत वर्ष

प्रधान कार्यालय

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति विकास संस्थान
बाबूजी मार्केट वैज्ञो धाम के सामने एटा चुंगी जी.टी. रोड अलीगढ़ (उ.प्र.)
वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

वर्ष (20/8-2019) 31 मार्च तक

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति लोयाबादशाहपुर जनपद-एटा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रस्तावित प्रस्तावों को अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के गरीब निवारो में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को जैसे-पुरुषों/महिलाएं/छात्राएं/छात्रओं/विकलांगों/नेत्र हीनों/मूक वरियों आदि को विभिन्न-विभिन्न योजनाओं प्रशिक्षणों तथा सहायता के अन्तर्गत 75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों तथा 25 प्रशिक्षण शहरी क्षेत्रों में शिक्षितों तथा अशिक्षितों को गरीबी की रेखा से ऊपर उड़ाने का समिति का एक मात्र उद्देश्य है।

1. महिला, सिलाई, कढाई, बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों:- महिला, सिलाई, कढाई, बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर संचालित किये गये निम्नांकित स्थानों पर अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति की शिक्षितों तथा अशिक्षितों महिलाएं/छात्राएं/विकलांगों जिनकी आयु सीमा 15 वर्ष से 35 वर्ष के बीच की अवधि की होना आवश्यक है। प्रति प्रशिक्षण केन्द्र पर 25 महिलाएं/छात्राएं/विकलांगों को 10 बजे से 12 बजे तक प्रथम बैच 1 बजे से 2 बजे तक द्वितीय बैच 3 बजे से 4 तक तृतीय बैच का संचालन निःशुल्क किये गये प्रति दिन 75 महिलाएं/छात्राएं/विकलांगों को (1) राधेश्याम जयन्त भवन स्वामी के मकान में किराये पर संचालन वर्ष (1996-97) तथा वर्ष (1997-98) में किया, जो मौहल्ला जैंगबाज खा घौड़ा नकास पुलिस चौकी कर्फ्स्खाबाद के निकट (2) प्रेमदास सुमन के भवन में किराये पर जो भोलेपुर फर्स्खाबाद में संचालन किया (3) जगदीश प्रसाद बकील ग्राम याकूतगंज विकास खण्ड बढ़पुर फर्स्खाबाद में (4) राकेश कुमार मिश्रा मौहल्ला जटपुर शमशाबाद फर्स्खाबाद में (5) शंकरलाल ग्राम अजमतपुर कुंआ खेड़ा तहसील कायमगंज फर्स्खाबाद में (6) बाबूराम यादव शान्ती नगर एटा (7) सर्वेन्द्र कुमार श्रीवास्तव बकील मौहल्ला कटरा फर्स्खाबाद में (8) विनोद कुमार श्रीवास्तव बहारपुर इटावा (9) मनोज कुमार श्रीवास्तव बकील मौहल्ला कटरा फर्स्खाबाद में (10) डॉ रामकुमार रसूलाबाद कानपुर नगर (11) रघुवीर सिंह मौहल्ला अम्बेडकर कातौनी अतारौती अलीगढ़ (12) गेदालाल भोगांव रोड मैनपुरी (13) राजेन्द्र प्रसाद वर्मा तालग्राम कन्नौज (14) विश्वम्बरनाथ शुक्ला सिकन्दरपुर कन्नौज (15) मैकूलाल ग्राम पहाड़पुर तिरीली विकास खण्ड मोहम्मदाबाद फर्स्खाबाद तथा अन्य के प्रशिक्षण केन्द्रों को संचालित किये गये। प्रति प्रशिक्षण केन्द्र पर समिति 5 सिलाई मशीने पैरदान की हाथ की 10 सिलाई मशीने, कपड़ा, धाग, कैची, इच्छिटेप, कुर्सीया भेजे, अलमारी, अग्निशम्शे-स्टूल आदि प्रशिक्षणों केन्द्रों को संचालन करने हेतु। स्टाफ कर्मियों जैसे संचालक अनुदेशिका, 3 अनुदेशिकाएं 1 लेखालिपिक, चौकीदार, आया आदि को मानदेय दिया जाता था। प्रशिक्षण केन्द्रों के समय-समय पर निरीक्षण जांच अख्यां जिला समाज कल्याण अधिकारी फर्स्खाबाद/जिला विकास अधिकारी फर्स्खाबाद जिला कार्यक्रम अधिकारी फर्स्खाबाद। जिला प्रेवोशन अधिकारी फर्स्खाबाद/उपनिदेशक समाज कल्याण कानपुर मण्डल कानपुर द्वारा कर मुख्य विकास अधिकारी फर्स्खाबाद ने अपनी संस्तुति के तहत निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ की कार्यवाही के अन्तर्गत विशेष सचिव उ0प्र0 शासन समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ/विशेष सचिव उ0प्र0 शासन की कार्यवाही के तहत प्रस्तावों को अनुसंधान/अवरसंधान/समाज कल्याण मन्त्रालय/सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली में पूर्व वर्षों से प्रस्तावों की पत्रावली प्रेषित है।

स्वयंरोजगार प्राप्तकर छोटे बड़े कपड़े तैयार कर बाजारों में विक्रय कर सकती है। शिक्षित महिलाएं/छात्राएं-सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट नौकरी प्राप्त कर सकती हैं। ऐसे परिवारों में जात्रत की लहर उत्पन्न हो सकती है। प्रति चयन जनपदों में प्रस्तावित अन्य योजना के तहत प्रशिक्षण पाकार स्वावलम्बी बन सकती है। प्रति जनपद में पांच प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी। जैसे- अलीगढ़, एटा, हावरस, कासगंज, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बरेली, शाहजहानपुर, बदायूँ, मुरादाबाद, विजनौर, मेरठ, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, सहारनपुर, शामली, कानपुर नगर, इटावा, फर्स्खाबाद, कन्नौज, लखनऊ,

अध्यक्ष

प्रधान कार्यालय

अमर राम अग्रहारी जाति/पिछड़ी गणी विकास संस्थान

नगरी नगर, उत्तर प्रदेश, 242001, भूती, उत्तर प्रदेश,

0612-2522000, 0612-2522001

उन्नाव, हरदोई, इलाहाबाद, फतेहपुर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, गौण्डा, बहरांच, बस्ती, सन्तकवीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, मेरामती आदि।

- 2. राष्ट्रीय पर्वों पर आयोजन:-** 15 अगस्त, 25 जनवरी एवं 2 अक्टूबर के पावन अवसरों पर संस्था के मुख्यालय भवन पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय स्कूल के छात्र-छात्रायें अभिभावक गणमान्य उत्तीर्ण एवं सेनानी श्री जय शंकर गुप्ता ने भाग लिया। झण्डारोहण के पश्चात् छात्र-छात्राओं द्वारा लोक गीत एवं देश भक्ति गीतों को प्रस्तुत किया गया। साथ ही आजादी के बाद का भारत नामक शीर्षक से एक वाद-विवाद संस्था के अध्यक्ष तथा सेनानी श्री गुप्ता जी के द्वारा पुरस्कृत किया गया। वक्ताओं ने आजादी के सभी मायने बच्चों को बताते हुए अपील की कि वे देश के लिए अपने आप को समर्पित करें अच्छे नागरिक बनें और देश के अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर सबसे आगे जे जाने का प्रयास करें मात्रमा गाँधी को याद करते हुए उन्होंने उनके आदर्शी सत्य एवं आहंसा का पालन करने की सलाह दी एवं देश की आजादी में बापू के योगदान पर चर्चा की। इसके बाद सूक्ष्म जलपान कर सभा का समाप्ति किया गया।
- 3. जनसंख्या नियंत्रण कैम्प:-** स्थान लोयाबादशापुर (एटा) में संस्था की तरफ से एक अयोजन किया गया जिसमें स्थानीय प्राह्लमरी स्वास्थ्य केन्द्र डॉ अशोक ने एक परिवार में दो से ज्यादा बच्चे ने हो ऐसा संकल्प लेने का आवाहन किया। गरीबों खासकर अल्पसंख्यक वर्गों को इंगित करते हुए कहा कि आज परिवार जियोजन के तमाम तरीके सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। जिनका उपयोग कर परिवार को नियंत्रित किया जा सकती है। कम जनसंख्या होने पर सरकार द्वारा उन्हें बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा एवं भोजन आदि उपलब्ध कराया जा सकता है। बेरोलगारी दूर होगी तथा अन्य आर्थिक श्रेष्ठों में तरक्की होगी। संस्था के सचिव ने आजादी पर अंकुश लगाने पर जोर देते हुए कहा कि संस्था परिवार नियोजन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर सम्पर्क करें ताकि उसका नियान किया जा सके।
- 4. युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम-** वर्ष 2012-13 में जिसे युवा वर्ष का नाम दिया गया था युवाओं की देश के प्रति बढ़ती भागीदारी पर बोलते हुए ब्लाक ईसानगर जिला लर्डमपुर खीरी के अध्यक्ष अवरार अहमद ने कहा कि आज के युवा देश की रीढ़ है। अच्छी शिक्षा एवं अच्छे आचरण से हम अपने गाँव, शहर, प्रदेश एवं देश को उन्नतशील एवं समृद्ध बना सकते हैं। संस्था के उपाध्यक्ष ने भारत सरकार द्वारा युवाओं के लिए घलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार से बताते हुए इस बात पर जोर दिया किया आज के युवा आगे आये और इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग युवाओं के लिए चालू योजनाओं का लाभ कहाँ से और कैसे लें इस बात को विस्तार से बताया गया।
- 5. उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम:-** बढ़ती जनसंख्या एवं उपभोगवाद संस्कृति को देखते हुए विभिन्न देशी-विदेशी कंपनियों द्वारा उपने उत्पादों को बेचने के लिए अपनाये जा रहे हथकंडों के बारे में जागरूक करते हुए जिला उपभोक्ता संरक्षण समिति के सदस्य श्री अवश नाय पाल ने बताया कि बहुत से उपभोक्ता अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं रखते इसके पीछे ने करण उनका अशिक्षित होना, दूसरी सरकार द्वारा गाँव देहात में उपभोक्ता अधिकारों की गोष्ठी एवं सभाओं का आयोजन न करा पाना। इस कार्यक्रम का आयोजन ग्राम याहांपुर सिरौली एवं जनपद फर्स्टखाबाद में किया गया। हमें अच्छे एवं धरिया उत्पादों को पहचानने, मिलायटी सामानों का पता लगाना एवं घटतीली आदि की जानकारी कैसे करें बताया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र सिंह सदस्य फर्स्टखाबाद बार काऊसिल ने बताया कि उपभोक्ताओं को उत्पादक कम्पनी द्वारा शिकायत न सुने जाने पर कहाँ और कैसे अपनी शिकायत दर्ज कराए इस कार्य को अधिवक्ता के द्वारा भी एवं स्वयं के द्वारा भी किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी जनपद के कचहरी न्यायालय में जिला उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।
- 6. साक्षरता कार्यक्रम:-** जनपद मुख्यालय में संस्था द्वारा आयोजित एक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन प्रथानाचार्य श्री विजय शंकर राजकीय इन्टर कॉलेज ने किया। उपस्थित जनसमुदाय एवं बच्चों को सम्बोधित करते हुए कहा कि एक सततू के तहत गाँव-गाँव देहात, शहर के बच्चे व बड़े सभी साक्षर हो ऐसा भारत सरकार के द्वारा योजना घलाई जा रही है। हर बच्चा चाहे लड़कों हो या लड़की अपने पास के विद्यालय अवश्य जाये ताकि पढ़-लिखकर अपने अधिकारों को समझे तथा उसका लाभ उठाकर अपना जीवन स्तर बढ़ातए। अब तो मिड-डे मिल योजना के तहत हर सरकारी स्कूलों में दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जा रहा है। कौपियाँ, किटाबें एवं स्कूली बस्ते भी सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। कि कोई भी बच्चा बैगर पढ़े न रहे। शिक्षा इन्सान की तरक्की का सबसे महत्वपूर्ण सीधी है। स्थानीय सभासद ने भी इस अवसर पर सर्वशिक्षा अभियान की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा समाज के ढाँचे को बदलने में कितनी सकता है। इसके लिए हर बच्चा व वयस्क को शिक्षित होना आवश्यक है।
- 7. मध्य निवेदण कार्यक्रम:-** इस कार्यक्रम का आयोजन ग्राम धनसुआ बैवर रोड भोलेपुर में किया गया। इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीण एवं समाज सेवियों को सम्बोधित करते हुए मनोचिकित्सक निर्वाण श्री आलोक कुमार ने बताया कि नशा किस तहर

अध्यक्ष
प्रधान कार्यालय
उत्तर प्रदेश अवृद्धिकार्यालय
बड़हन नगरकोट ! गोपनीय वाल से "गोपनीय" उत्तर प्रदेश
पृष्ठ ३०३, ...

हमें बरबाद करता है। इसका सेवन हमारे मानसि स्तर को कितना नुकसान पहुँचाता है। इस बारे में हमें गम्भीरता से विचार करना होगा। धूप्रभान, शराब व नशीली गोलियों का सेवन केवल हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाता है बल्कि अपरोक्ष रूप से का विषय है। इसलिये हमें नशे से दूर रहना चाहिये। चिकित्सक डॉ० राकेश तोमर ने बताया कि नशा न केवल व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को डांवाडोल करता है। बल्कि उसके पूरे परिवार को तहस-नहस करता है। माँ, बाप, पत्नी, बच्चे सभी पाता है। हमें नशा बेघने वालों की शिकायत स्थानीय प्रशासन को करनी चाहिए ताकि अपने आस-पास के लोगों को नशे की गिरफ्त में आने से बचाया जा सके।

8. **पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम**:- ग्राम बरझाला जनपद फर्स्टखाबाद में आयोजित पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में स्थानीय अवय कर्ते, विषय पर वन क्षेत्राधिकारी श्री संजय सिंह ने विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि तरह पर्यावरण को प्रदूषित कर सुख-सुविधाओं से परे हटकर सोचें किस तरह समाज हम अपने बच्चों के लिए छोड़ रहे हैं। जगह-जगह गंदगी, कूड़ा-करकट, लू-लूपण, शौर इस कदर बढ़ गया है। कि हम इस पर यदि नियंत्रण नहीं किसा तो आने वाले समय में स्थिति अल्पिक गम्भीर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता जा सकता है। और अधी भी कुछ नहीं बिगड़ा हमें सिर्फ अपने आघुनिकीकरण एवं प्राकृति संसाधनों के अधार्थुष दोहन को रोककर नियंत्रित तरीके से करने की जरूरत है।
9. दुर्गेश जीशी विशेष सचिव उ०प्र० शासन समाज कल्याण अनुभाग-२ लखनऊ दिनांक 19 नवम्बर 1997 समिति का प्रस्ताव महिला, सिलाई, कड़ाई प्रशिक्षण केन्द्र का संधिद भारत सरकार कल्याण मन्त्रालय शास्त्री भवन लखनऊ को प्रेषित किया।
10. आयार्च सुरेशबाबू अनुसंचिव उ०प्र० शासन समाज कल्याण अनुभाग-२ लखनऊ दिनांक 28 मार्च 1998 की समिति के प्रस्तावों ४ महिला, सिलाई, कड़ाई, बुनाई, प्रशिक्षण केन्द्रों की संस्थानि.कर सचिव भारत सरकार कल्याण मन्त्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली को प्रेषित करायी गयी। तथा आवासीय विद्यालय के स्थान पर अनावासीय विद्यालय 100 बच्चे/बच्चीयों हेतु बन्धाकी पुरानी पुलिया नगला मानसिंह अलीगढ़ में संचालित है 28 मार्च 1998 तथा 30 छात्राएं तथा छात्राओं हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र मोहल्ला जटपुर शमशाबाद फर्स्टखाबाद में संचालित था। आयार्च सुरेशबाबू अनुसंचिव उ०प्र० शासन की संस्थानि के तहत प्रस्ताव था।
11. रमाशंकर सिंह विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-२ लखनऊ दिनांक 9 अक्टूबर 2004 के तहत निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ से जांच कराने के सम्बन्ध में। निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ ने जिला अधिकारी फर्स्टखाबाद/मुख्य विकास अधिकारी फर्स्टखाबाद से कराने के सम्बन्ध में पत्र भेज कर अवगत कराया।
12. मुख्य विकास अधिकारी फर्स्टखाबाद/ जिला समाज कल्याण अधिकारी फर्स्टखाबाद से निरीक्षण जांच अख्याकरा कर मुख्य विकास अधिकारी फर्स्टखाबाद की संस्थानि से निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ को 31 दिसम्बर 2004 को पत्र वालक द्वारा पत्रावली प्रेषित की गयी।
13. निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ की कार्यवाही के अन्तर्गत विशेष सचिव उ०प्र० शासन समाज कल्याण अनुभाग-२ लखनऊ की दिनांक 21 मार्च 2005 में प्रस्ताव पत्रावली प्रेषित करायी।
14. उमाशकर सिंह अनुसंचिव उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-२ लखनऊ दिनांक 28 जून 2007 को प्रस्ताव पत्रावली पत्रावलक द्वारा अबर सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली मन्त्रालय की डाक पत्र सैकड़न में द्वायरी नं० 4143 2/7/2007 में प्रेषित की गयी। तथा एल.मरांडी अनुसंचिव द्वारा मुख्य विकास अधिकारी फर्स्टखाबाद के पत्रांक पत्र में संशोधन कर समिति को 11020/55/2008 दिनांक 23/6/2008 एस.सी.डी.तृतीय किया गया।
15. जिला प्रोवेशन अधिकारी फर्स्टखाबाद, एटा, काशीराम नगर, (कासगंज) बदायू, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कानपुरनगर, लखनऊ, गोण्डा आदि ने निरीक्षण जांच अल्प्या की।
16. अनिता चट्टर्जी विशेष सचिव उ०प्र० शासन समाज कल्याण अनुभाग-२ लखनऊ दिनांक 26 दिसम्बर 2008 की संस्थाओं/समितियों/संगठनों हेतु प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में ग्रान्ट इन एड कमेटी की बैठक दिनांक 18/12/2008 में विचार कर 45 संस्थाओं संचालित तथा 17 संथाओं जो प्रस्तावित थी। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय शास्त्री भवन में पत्रावली प्रेषित करायी गयी।

17. भवनाथ विशेष सचिव उम्रो ३० शासन लखनऊ समाज कल्याण अनुभाग-२ लखनऊ दिनांक २६ मई २०१० को संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली में ग्रान्ट इन एट कमेटी की संस्तुति के प्रति मन्त्रालय द्वारा पूछा गया। मन्त्रालय की स्कीनिंग कमेटी की बैठक की सूची में उक्त समिति नं० २८८ दिनांक ९/१०/२०१० पर विचार किया गया।
18. कमलकिशोर श्रीवास्तव उप सचिव उम्रो ३० शासन समाज कल्याण अनुभाग-२ लखनऊ दिनांक २७ अप्रैल २०११ को अनुसंचित सामाजिक न्याय और मन्त्रालय भारत सरकार शास्त्री भवन नई दिल्ली द्वारा उक्त समिति के सम्बन्ध में।
19. एम.ए.मुरलीधरन डिप्टी सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली के पत्र की पत्रांक ११०२०/५५/२००८ एस.सी.डी.हृतीय दिनांक ८ अगस्त २०१३ में उद्घाटन समिति के अध्यक्ष को अवगत कराया गया, समिति के रजिस्ट्रेशन तथा निरीक्षण जांच अख्याके प्रति से।
20. संजीव कुमार पूर्व संयुक्त सचिव एवं स्कीनिंग कमेटी के अध्यक्षता में दिनांक २६.२७/९/२०१३ में भारत वर्ष की ४४ पञ्चायती बैठक में रखी गयी मात्र चार संस्थाओं (१) अन्ना प्रदेश (२) उत्तर प्रदेश (३) करनाटक प्रदेश (४) हरियाणा प्रदेश की पत्रावलीयों पर विचार किया गया थिल पेशित सहायता हेतु। तीन को मन्त्रालय द्वारा सहायता वर्ष (२०१४-२०१५) से प्राप्त थी रही है। हमारी समिति को आज तक कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है।
21. समिति का नवीकरण दिनांक ६/१/२०१५ से दिनांक ६/१/२०२० तक मान्य है समय आने पर नवीकरण करा लिया जायेगा।
22. निदेशक, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ दिनांक ३० जनवरी २०१५ में समिति के रजिस्ट्रेशन की बैधता समाप्त होने का उल्लेख है। इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा रजिस्ट्रेशन का नवीकरण करा कर आया प्रति उपलब्ध करायी गयी। चास्तिता उपसिंचब उम्रो ३० शासन समाज कल्याण अनुभाग-२ लखनऊ दिनांक २५ फरवरी २०१५ को उप सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली को अद्वैतर कर्तव्यादी कियो जाने हेतु पत्र भेजा।
23. श्रीमाननीय यावरचन्द गेहलोत महोदय मन्त्री जी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय को समिति के अध्यक्ष द्वारा पत्र के तहत से अवगत कराया, योगेश कुमार उपाध्याय निजी सचिव के पत्र की पत्रांक ४४० दिनांक १४/९/२०१६ को समिति के अध्यक्ष को अवगत कराया। मन्त्री महोदय को पत्र की पत्रांक ५६१ दिनांक २२/१२/२०१६ को अवगत कराया। तथा श्रीमाननीय रामदास आठवले राज्य मन्त्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली जाकर मन्त्रालय में पत्र की पत्रांक ५९१ दिनांक १९/१/२०१७ की प्रस्ताव पञ्चायती दिनांक १/२/२०१७ में डाक में प्रेषित की।
- स्वास्थ्य समुदायक केन्द्रों:- समिति के प्रस्ताव के अन्तर्गत ३५ घर्यनित जनपदों में १० बैड अस्पताल तथा १३ मट्टलों में एक स्वास्थ्य समुदायक केन्द्र सीधीपित करने का उद्देश्य अनुसूचित जाति की महिला वस्तीयों तथा बी.पी.एल. शारिक कार्डों के तहत इलाज तथा दवाईया वितरण की जायेगी। अधिक विमार वाले भर्ति किये जायेगे।
- मोबाइल डिस्पोनेंसरी :- चलात फिरता मोबाइल अस्पताल अनुसूचित जाति के परिवारों जो गरीब निर्वलों को दवाईया निःशुल्क ग्रामीण क्षेत्रों ब शहरी क्षेत्रों में दवाईया वितरण बी.पी.एल. शारिक कार्डों के तहत घर्यनित जनपदों की जायेगी।
- ब्यूटी पालर प्रशिक्षण केन्द्रों:- समिति के प्रस्ताव के अन्तर्गत महिलाए़/छात्राए़/जिनकी आयु सीमा १४ वर्ष से ३५ वर्ष तक की निःशुल्क प्रशिक्षण बेंचों के माध्यम से शिक्षित महिलाए़/छात्राए़ ब्यूटी पालर सीखकर स्वयं का रोजगार प्राप्त कर सकती है। अनुसूचित जाति के परिवारों की जिला प्रशिक्षण अधिकारी अलीगढ़ के पत्र की पत्रांक ३१९४ दिनांक २८ मार्च २०१७ के तहत स्टेप योजना हेतु निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ की।
- बिजली कार्यक्रम प्रशिक्षण केन्द्रों:- समिति के प्रस्ताव के तहत बिजली कार्य प्रशिक्षण केन्द्र अनुसूचित जाति के शिक्षित युवकों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर संवय रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।
- बुद्ध आश्रम हेतु:- अनुसूचित जाति के परिवारों के गरीब ब निवाल बुद्धाओं को आश्रम के तहत भोजन कपड़ा पुस्तके अद्वारा अन्य सुविधा जिनकी आयु ६० वर्ष से ऊपर हो निःशुल्क की जायेगी।
- समिति के प्रस्तावों के तहत अन्य योजनाओं के अन्तर्गत विकलांगों तथा नेत्रालीनों मूकवरियों को प्रशिक्षण तथा निःशुल्क सहायता करने का समिति का एक मात्र उद्देश्य है।
- समिति के उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रधान कार्यालय १३ मट्टल कार्यालयों ३५ जिला कार्यालयों में उक्त योजनाओं के माध्यम से स्थापना की जायेगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार के तहत वित्त पेशित होने पर संचालित की जायेगी। समिति के उद्देश्य की पूर्ति हेतु।

मवदीय

आर.बी.वर्मा
अध्यक्ष (समिति)

अध्यक्ष
प्रधान कार्यालय
समिति कार्यालय
निवाल बुद्धाओं को आश्रम कपड़ा पुस्तक
प्रशिक्षण केन्द्र
निवाल बुद्धाओं को आश्रम कपड़ा पुस्तक
प्रशिक्षण केन्द्र

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, लोयाबादशहपुर (एटा)

प्रथान कार्यालय

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति विकास संस्थान

जयनरान वर्मा रोड फतेहगढ़-फर्स्टखाबाद (उ.प्र.)

वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

वर्ष (2015-2016) 31 मार्च तक

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति लोयाबादशहपुर जनपद-एटा द्वारा संचालित प्रधान कार्यालय, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति विकास संस्थान बाबूजी मार्केट वैष्णो धाम के सामने एटा चुंगी जी.टी. रोड अलीगढ़ के नाम वर्ष 2016 से प्रधान कार्यालय स्थित है इससे कार्यालय से मस्त की रेखा रेखा की जाती है।

समिति के विधान के उद्देश्य के अन्तर्गत प्रस्तावों को अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के गरीब और परिवारों में जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने को जैसे पुरुष/महिलाएँ/छात्राएँ/छात्र/विकलांग/मूक, बरिध आदि विभिन्न-विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 25 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में शिक्षित तथा अशिक्षित को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का एक मात्र उद्देश्य है।

महिला सिलाई, कढाई, बुनाई, प्रशिक्षण केन्द्रों

महिला सिलाई, कढाई, बुनाई, प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रति प्रशिक्षण केन्द्र पर 75 प्रशिक्षण चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत रहेंगे। जिसमें अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के परिवारों की महिलाएँ/छात्राएँ/विकलांग जिनकी आयु सीमा 14 वर्ष से 40 वर्ष की अवधि के बीच की होगी। प्रति प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन समय दिन में 10 बजे से 12 बजे तक प्रथम बैच में 40 प्रशिक्षण कार्य सीखेगी तथा 2 बजे से 4 बजे तक द्वितीय बैच में 35 प्रशिक्षण कार्य सीखेगी। जिसकी अवधि 6 माह तथा 1 वर्ष की होगी। प्रशिक्षणों केन्द्रों में कार्य निःशुल्क दिया जायेगे।

प्रति प्रशिक्षण केन्द्रपर स्टाफ कर्मचारीगण 1-संचालन अधिकारी को मानदेय वेतन 10000/- रुपये प्रतिमाह 2-अनुदेशिकाओं का मानदेय वेतन 10000/- रुपये प्रतिमाह प्रति को सेखा लिपिक 6000/-रुपये प्रतिमाह मानदेय वेतन 3000/- रुपये आया/सहयोगी प्रतिमाह 3000/- रुपये चौकीवार को प्रतिमाह मानदेया वेतन 2000/- रुपये प्रति माह सफाई कर्मि को मानदेय वेतन प्रति प्रशिक्षण केन्द्र पर लावन स्वामी को किराये वास्ते 6000/- रुपये प्रतिमाह समिति ने अपने संशोधनों से घनराशि दी।

प्रशिक्षण केन्द्रों का समय पर जांच निरीक्षण आंख्या जिला समाज कल्याण अधिकारी फर्स्टखाबाद द्वारा तथा उपनिदेशक समाज कल्याण अधिकारी कानपुर द्वारा की गयी। मुख्य विकास अधिकारी फर्स्टखाबाद द्वारा संस्तुति के तहत निदेशक समाज कल्याण 30प्र० लखनऊ को/निदेशक समाज कल्याण की कार्यालयी के अन्तर्गत, विशेष सचिव उ30प्र० शासन-समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ तथा विशेष सचिव की कार्यवाली के अन्तर्गत अबर सचिव/अनुसंचिव भारत सराकर के समाज कल्याण मन्त्रालय/सामाजिक न्याय और आधिकारिता मन्त्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली में पूर्व वर्षों से प्रस्ताव प्रेषित है।

1. महिला सिलाई कढाई, बुनाई, प्रशिक्षण संचालित किये जायेंगे जैसे-

- मुहल्ला जंगबाज खां घोड़ा नकास पुलिस चौकी कर्स्टखाबाद में राधेश्याम जयन्त भवन स्वामी के मकान में किराये पर
- मुहल्ला भोलेपुर फतेहगढ़, कर्स्टखाबाद के प्रेमदास सुमन के भवन पर किराये पर 3. जगदीश प्रसाद वकील ग्राम याकूबगंज विकास खण्ड बढ़पर कर्स्टखाबाद में 4. रामेश कुमार मिश्रा मुहल्ला जटपुरा शमशाबाद कर्स्टखाबाद में 5. शंकरलाल ग्राम-अजमतपुर कुंआ लोड़ा तहसील कायमगंज कर्स्टखाबाद में 6. बाबूराम यादव- मुहल्ला शान्तीनगर एटा 7. सर्वेन्द्र कुमार तोमर अवागढ़ डाऊस एटा में 8. स्व० विनोद कुमार श्री वास्तव बहारपुर इटावा 9. मनोज कुमार श्री वास्तव वकील मुहल्ला कटरा, फतेहमहमूद खां इटावा 10. ड० राकुमार रसूलाबाद कानपुर नगर 11. रघुवीर सिंह मुहल्ला अन्वेषकर कालीनी अलीगढ़ 12. गेवालाल भोगांव रोड मैनपुरी 13. राजेन्द्र प्रसाद वर्मा ग्राम-तालग्राम कन्नौज 14. विश्वामित्र शुक्ला तिक्कापुरपुर कन्नौज 15. नैकूलाल- ग्राम पहाड़पुर (सिरीली) विकास खण्ड

आद्यक्ष

प्रधान कार्यालय

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति विकास संस्थान

बाबूजी गार्डें फैज़ाली धाम के नामों ॥ ८८ ॥

मैनपुरी रोड, कन्नौज,

मोहम्मदाबाद फर्स्टियाबाद के अन्तर्गत उक्त प्रशिक्षण संचालित रहे। प्रति प्रशिक्षण केन्द्र पर सामिग्री 5 सिलाई मशीने की अलमारी छोटे कपड़ों वास्ते। कैची, इंचीटेप, कपड़ा-थगा सुई बटन प्रैस कपड़ों वास्ते लिखने वास्ते कापिया प्रेक्टिल सिलाई प्रमाण पत्र प्राप्त किये। महिलाएं/छात्राएं स्वरोजगार प्राप्तकर छोटे बड़े कपड़े तैयार कर बालारों में विक्रय कर सकती हैं। शिक्षित महिलाएं/छात्राएं-सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट नौकारी प्राप्त कर सकती हैं। ऐसे परिवारों में बन सकती है। प्रति चयन जनपदों में प्रस्तावित अन्य योजना के तहत प्रशिक्षण पाकार स्वावलम्ब बन सकती है। प्रति जनपद दो प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाये कार्यालय स्थापित कर। जैसे- अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं, मुरादाबाद, विजनौर, ज्योतिवाराव फूलेनगर, सम्बल, मेरठ, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नीएडा) ढापुड़, सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, शामली, कानपुर नगर, इटावा, फर्स्टियाबाद, कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, मुल्लानपुर, बांबकी, अम्बेडकरनगर, गौण्डा, बहरांइच, बस्ती, सन्तकवीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, आजमगढ़, मऊ, झौंसी, जालौन (उर्द्द) में आदि। अन्य जनपद प्रशिक्षण केन्द्र संचालित होंगे।

- 2. राष्ट्रीय पदों पर आयोजन:-** 15 अगस्त, 25 जनवरी एवं 2 अक्टूबर के पावन अवसरों पर संस्था के मुख्यालय भवन पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय स्कूल के छात्र-छात्राएं अभिभावक गणमान्य अतिथि एवं सेनानी श्री जय शंकर गुप्ता ने भाग लिया। इण्डियारोहण के पश्चात् छात्र-छात्राओं द्वारा लोक गीत एवं देश शक्ति गीतों को प्रस्तुत किया गया। साथ ही आजादी के बाद का भारत नामक शीर्षक से एक बाद-विवाद संस्था के अध्यक्ष तथा सेनानी श्री गुप्ता जी के द्वारा पुरस्कृत किया गया। वक्ताओं ने आजादी के सही मायने बच्चों को बताते हुए अपील की कि वे देश के लिए अपने आप को समर्पित करें अच्छे नागरिक बनें और देश के अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर सबसे आगे जे जाने का प्रयास करें भाहतमा गाँधी को याद करते हुए उन्होंने उनके आदर्श सत्य एवं अहंसा का पालन करने की सलाह दी एवं देश की आजादी में बापू के योगदान पर चर्चा की। इसके बाद सूक्ष्म जलपान कर सभा का समापन किया गया।
- 3. साक्षरता कार्यक्रम:-** जनपद मुख्यालय में संस्था द्वारा आयोजित एक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन प्रथानाचार्य श्री विजय शंकर राजकीय इन्टर कॉलेज ने किया। उपस्थित जनसमुदाय एवं बच्चों को सम्बोधित करते हुए कहा कि एक सततु के तहत गाँव-गाँव देहात, शहर के बच्चे व बूढ़े सभी साक्षर हो ऐसा भारत सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है। हर बच्चा चाहे लड़कों हो या लड़कियां अपने पास के विधालय अवश्य जाये ताकि पढ़-लिखकर अपने अधिकारों को समझें तथा उसका लाभ उठाकर अपना जीवन स्तर बढ़ाता है। अब तो मिड-डे मिल योजना के तहत हर सरकारी स्कूलों में दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जा रहा है। कोशियाँ, किताबें एवं स्कूली बस्ते भी सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। कि कोई भी बच्चा बगैर पढ़े न रहें। शिक्षा इन्सान की तरकी का सबसे महत्वपूर्ण सीधी है। स्थानीय सभासद ने भी इस अवसर पर सर्वशिक्षा अभियान की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा समाज के छांचे को बदलने में कितनी सकला है। इसके लिए हर बच्चा व वयस्क को शिक्षित होना आवश्यक है।
- 4. मध्य निषेध कार्यक्रम:-** इस कार्यक्रम का आयोजन ग्राम घनसुआ बेवर रोड़ भोलेपुर में किया गया। इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीण एवं समाज सेवियों को सम्बोधित करते हुए मनोविज्ञानक निर्वाचन श्री आलोक कुमार ने बताया कि नशा किस तहर हमें बरबाद करता है। इसका सेवन हमारे मानसि स्तर को कितना नुकसान पहुँचाता है। इस बारे में हमें गम्भीरता से विचार करना होगा। धूप्रापन, शराब व नशीली गोलियों का सेवन केवल हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाता है बल्कि अपरोक्ष रूप से उससे जुड़े हर व्यक्ति को अपाहित बना देता है। आज बड़ों की देखा-देखी छोटी उम्र के बच्चे नशा करने लगे १ बेहद चिंता का विषय है। इसलिये हमें नशे से दूर रहना चाहिये। विज्ञानिक डॉ० राकेश तोमर ने बताया कि नशा न केवल व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को डांवाडोल करता है। बल्कि उसके पूरे परिवार को तहस-नहस करता है। माँ, बाप, पर्नीष बच्चे सभी अप्रत्यक्ष रूप से इस नशे का शिकार होते हैं। साथ ही बच्चा अपने पिता को पीता देखकर खुद को भी पीने से नहीं रोक पाता है। हमें नशा बेचने वालों की शिकायत स्थानीय प्रशासन को करनी चाहिए ताकि आपने आस-पास के लोगों को नशे की गिरफ्त में आने से बचाया जा सके।
- 5. पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम:-** ग्राम बरझाला जनपद फर्स्टियाबाद में आयोजित पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में स्थानीय अवधि स्कूल के बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया हम अपने आस-पास के बातावरण को कैसे संरक्षित रखें और शुद्ध वायु प्राप्त करें, विषय पर वन क्षेत्राधिकारी श्री संजय सिंह ने विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि तरह पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। वृक्षों को अंधाधुप काटा जा रहा है। उनके अनुपात में वृक्षारोपण नहीं हो रहा है। आज

अध्यक्ष
प्रधान कार्यालय
उत्तर प्रदेश अनुद्योग नियन्त्रित विभाग संस्थान
वार्षिक स्कॉल / नियोग बाजार से जामने। उत्तर उत्तर
कैप्टन गोपन, नियन्त्रित

जरूरत है। कि हम अपने सुख-सुविधाओं से परे हटकर सोचें किस तरह समाज हम अपने बच्चों के लिए छोड़ रहे हैं। जगह-जगह गंदगी, कूड़ा-करकट, प्रदूषण, शौर इस कदर बढ़ गया है। कि हम इस पर यदि नियंत्रण नहीं किसा तो सिंह रावत ने बताया कि किन कारणों से हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता जा सकता है। और अभी तरीके से करने की जरूरत है।

6. **औषधीय पौधों एंव उनका समुचित उपयोग:-** स्थान द्वावन्द इन्टर कालेज नवावगंज में स्थित तीन दिवसीय पर्यावरण कार्यक्रम को संस्था ने पूर्व प्रमुख वन संरक्षक डॉ राम लखन सिंह की अव्यक्षता में सम्पन्न किया। इस तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। पुरातन काल से चली आ रही हमारी भौतिक धरोहर जड़ी बूटियाँ हैं। जिनका उपयोग हमारे ऋषि मुनि एंव वैद्य किया करते थे। स्थानीय आदिवासी लोग आज भी इनका उपयोग करते हैं। आज जरूरत है हमें इस ज्ञान को संरक्षित करने एंव भावी पीढ़ी तक पहुँचाने की ताकि समाज का एक बड़ा वर्ग इसका लाभ उठा सके। संस्था की तरफ से सभी लोगों को केन्द्रीय औषधीय एंव सुगन्धीय पादप केन्द्र (सीमेप) का तीन दिवसीय दीरा कराकर वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा औषधीय एंव सुगन्धीय पौधों की लानकारी दिलाई। तथा उनके कैसे उत्पाद बनाकर वाणिज्यिक लाभ लिया जा सकता है। वैज्ञानिकों के द्वारा हमारे आस-पास के पर्यावरण में एंव मृदा में हो सकने वाले प्रजातियों के बारे में भी डॉ श्रीकान्त त्रिपाठी ने विस्तार में चर्चा किया और बच्चों को एक-एक ब्राह्मी का पौधा उपहार में दिया इस कार्यक्रम से लोगों में औषधियों के प्रति रुक्षान बढ़े एंव पारम्परिक खेती को छोड़कर अल्प समय में इन पौधों को उत्पादन कर अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। संस्था के अध्यक्ष डॉ शीलेन्द्र ने विभिन्न प्रजातियों के पौधों एंव बीजों को कहाँ से प्राप्त करें और अपने पैदा किये गये उत्पाद को अच्छे मूल्य पर कहाँ विण्णन करें, विस्तार से बताया। बाद में संस्थान द्वारा एक पम्लेट भी वितरित किया गया।
7. **वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्यक्रम:-** पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय एंव भारत सरकार की राष्ट्रीय वनीकरण एंव पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड के द्वारा प्रायोजित वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत जनपद फरुखाबाद के ल्लाक कायमगंज के गाँव परोरी में वृक्षारोपण हेतु जमीनी कार्य किया गया। इस योजना के तहत वर्ष 2011-12 में वृक्षारोपण प्रस्तावित है। संस्था द्वारा चयनित भूमि पर स्थानीय वन खेत्राधिकारी एंव सम्मानीय वनाधिकारी की उपस्थिति एंव देखरेख में गढ़हा खोदने का कार्य किया गया। तकरीबन 50-60 मजदूरों ने महीने भर लगातार कार्य करते हुए 55000 गड्ढे खोदे। फिर संस्था द्वारा सिंचाई की आवश्यकता को ध्वनि में रखते हुए नालियाँ बनवाई गई तथा तालाबों को साफ कराकर बरसाती पानी को रोकने का काम किया गया। वृक्षारोपण जुलाई, अगस्त 2011 में होना है। गड्ढे में बरसाती जल इकट्ठा किया जायेगा। ताकि आवश्यकता पड़ने पर वृक्षों की जलापूर्ति की जा सके इस दौरान एक पर्यावरण जागरूकता गोष्ठी का भी आयोजन किया गया जिससे इस वृक्षारोपण से ग्राम समाज को होने वाले लाभ को बताया गया। फल, पत्ती, एंव जलात लकड़ी को इस वृक्षारोपण से गरीबी को फायदा होगा। वार्षिक उद्घेशन कार्यक्रम:- संस्था मुख्यालय पर दिनांक 31 मार्च 2011 को संस्था की साधारण सभा एंव प्रबन्धकारिणी समिति व कर्मचारीगण के मध्य वार्षिक अधिवेशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में किए गये क्रियाकलापों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ग्राम सभा के मध्य रिपोर्ट की समीक्षा की गयी। समीक्षा के उपरान्त अगले वित्तीय वर्ष 2011-12 के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रस्तावित बजट का अनुमोदन किया गया तत्पश्चात् संस्था के समस्त पदाधिकारियों कर्मचारियों एंव सदस्यों को सामाजिक क्रियाकलापों में सहयोग हेतु अभिनंदन किया गया।
8. **कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र-** समिति का उद्देश्य प्रस्ताव के अन्तर्गत चयनित जनपदों अनुसूचित जाति के परिवारों के शिक्षित बच्चों को जो हाईस्कूल, इंटरमीडिएट को निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण उन बच्चों दिया जायेगा। जा चयन प्रक्रिया के आधार पर चयन किये गये हैं। प्रति प्रशिक्षण पर 30 बच्चों का बैच प्रशिक्षण पा सकेगा। यह बच्चे प्रशिक्षण पाकर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और सरकारी, अर्धसरकारी कम्पनियों में नौकरी प्राप्त कर स्वालंबी बन सकते हैं।
9. **पेयजल योजना:-** चयनित जनपदों के विकास खण्डों व उनकी ग्राम पंचायतों में पानी की व्यवस्था, मलिन बस्तियों में सार्वजनिक स्थानों, विद्यालयों, अम्बेडकर पाकों, मन्दिर, बस्तियों में हैण्डपम्प निर्माण कराकर व्यवस्था की जाएगी सरकारी कार्यालयों के माध्यम से समिति का उद्देश्य मान्य होगा।

अध्यक्ष

प्रधान कायमगंज

जनपद प्रदेश अनुशूलित पानी/पेयजल जाति विकास संस्थान
कायमगंज ! जिन्होंने जल के ——ों!! एवं हूँची,
गोदानी लोड, ——

10. **भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास पुष्टाहारः**- मन्त्रालय आदेश के अन्तर्गत महिलाएं बच्चे, को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा। गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का एकमात्र उद्देश्य है। जिनकी आयु सीमा 6 वर्ष-14 वर्ष के बीच होगी। सभी वर्गों के छात्र/छात्रायें हेतु सामान्य सहायता योजना के अन्तर्गत जनता सुधार शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र के नाम से प्रति प्रशिक्षण पर बच्चों की संख्या 100 रहेगी। दो बैचों के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित किया जायेगा। प्रति बैच में 50 बच्चे तथा बच्चियाँ प्रशिक्षण पा सकेंगी। जिसमें दस कर्मचारियों का स्टाफ भारत सरकार से वित-पोषित होने पर वेतनमान दिया जायेगा। जो 10 बजे से 12 बजे तक प्रथम बैच, 2 बजे से 4 बजे तक द्वितीय बैच संचालित रहेगा। मध्य में लंब भी किया जायेगा। यह प्रस्ताव जिला प्रोवेशन अधिकारी के माध्यम से निदेशक महिला कल्याण (उ.प्र.) और शासन में प्रेषित है।
11. **सुलभ शौचालय निर्माण हेतुः**- समिति द्वारा कार्यक्रम समस्त चयनित जनपदों में अनुसूचित जाति के परिवारों में बी.पी.एल. कार्ड के अन्तर्गत तथा अन्त्योदय कार्ड के तहत सुलभ शौचालयों की व्यवस्था अधिकतम ग्रामीण क्षेत्रों में करायी जायेगी।
12. **स्वास्थ्य सामुदायिक केन्द्रः**- समिति के प्रस्ताव के अन्तर्गत चयनित जनपदों में विकास खण्डों की ग्राम पंचायतों में एक स्थान पर सामुदायिक केन्द्र स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों में निःशुल्क दवाइयाँ तथा इलाज किया जायेगा। ग्रामीण जनता को इलाज हेतु सुविधा प्राप्त होगी, अनुसूचित जाति के परिवारों को।
13. **बुद्धा आश्रम हेतुः** :- अनुसूचित जाति के परिवारों में जिनका कोई सहारा नहीं है, बृद्धा आश्रम में निःशुल्क रहन-सहन घोजन, पुस्तकें, अखबार, आदि की सुविधा। जिनकी आयु सीमा 60 वर्ष से ऊपर वालों के आस-पास आती है।
14. **समिति का उद्देश्यः**- अनुसूचित जाति वाले परिवारों को गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों को बृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, पुत्रियों की शादी हेतु सहायता, इलाज हेतु सहायता बी.पी.एल कार्ड के अन्तर्गत सहायता समाल कल्याण विभाग द्वारा सहयोग कराना, औश्र आवासों का निर्माण विकास खण्डों के द्वारा कराना समिति का उद्देश्य है। समिति के प्रस्ताव के अन्तर्गत।
15. **मोबाइल डिस्पेसरीः**- अस्पताल, चलता-फिरता ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क दवाइयाँ वितरण करना, अनुसूचित जाति की बस्तियों में।

समिति के प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रधान कार्यालय, मण्डलीय कार्यालय, जिला, कार्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु जिला स्तर से प्रस्ताव संस्तुति के अन्तर्गत समिति द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव में जो चयनित जनपदों में समिति अनुसूचित जाति के निर्वल परिवारों में विकास योजनाओं के अन्तर्गत विकास कराना चाहती है।

यह समिति का उद्देश्य इस कारण कार्यालयों की स्थापना की जाये गयी है। जो प्रस्तावित है।

भवदीय

आर.बी.वार्म
अध्यक्ष (समिति)

अध्यक्ष
प्रधान कार्यालय
आम प्रदेश अनुसूचित जाति/पेशी जाति विकास संलयान
कामी बढ़ाव ! ग्रामों धान के नामो!! एवं दुग्ध,
जीवदूष से,

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, लोयाबादशाहपुर (एटा)

प्रथान कार्यालय

जयनरान वर्मा रोड फतेहगढ़-फर्स्टखाबाद (उ.प्र.)

वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

वर्ष (2016-2017) 31 मार्च तक

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति लोयाबादशाहपुर जनपद-एटा द्वारा संचालित प्रधान कार्यालय, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति विकास संस्थान जयनरायन वर्मा रोड फतेहगढ़-फर्स्टखाबाद में वर्ष 1991 से प्रधान कार्यालय स्थित है इससे कार्यालय से मस्त की देख रेख की जाती है।

समिति के विधान के उद्देश्य के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रस्तावों को अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के गरीब और परिवारों में जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने को जैसे पुरुष/महिलाएँ/छात्राएँ/छात्र/विकलांग/मूक, वरिध आदि विभिन्न-विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 25 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में शिक्षित तथा अशिक्षित को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का एक मात्र उद्देश्य है।

महिला सिलाई, कढाई, बुनाई, प्रशिक्षण केन्द्रों

महिला सिलाई, कढाई, बुनाई, प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रति प्रशिक्षण केन्द्र पर 75 प्रशिक्षण चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत रहेंगे। जिसमें अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के परिवारों की महिलाएँ/छात्राएँ/विकलांग जिनकी आयु सीमा 14 वर्ष से 40 वर्ष की अवधि के बीच की होगी। प्रति प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन समय दिन में 10 बजे से 12 बजे तक प्रथम बैच में 40 प्रशिक्षण कार्य सीखेंगी तथा 2 बजे से 4 बजे तक द्वितीय बैच में 35 प्रशिक्षण कार्य सीखेंगी। जिसकी अवधि 6 माह तथा 1 वर्ष की होगी। प्रशिक्षणों केन्द्रों में कार्य निःशुल्क दिया जायेगे।

प्रति प्रशिक्षण केन्द्र पर स्टाफ कर्मचारीगण 1-संचालन अधिकारी को मानदेय वेतन 10000/- रुपये प्रतिमाह 2-अनुदेशिकाओं का मानदेय वेतन 10000/- रुपये प्रतिमाह प्रति को लेखा लिपिक 6000/-रुपये प्रतिमाह मानदेय वेतन 3000/- रुपये प्रति माह सफाई कर्म को आया/सहयोगी प्रतिमाह 3000/- रुपये चौकीदार को प्रतिमाह मानदेय वेतन 2000/- रुपये प्रति माह सफाई कर्म को मानदेय वेतन प्रति प्रशिक्षण केन्द्र पर लावन स्वामी को किराये वास्ते 6000/- रुपये प्रतिमाह समिति ने अपने संशोधनों से धनराशि दी।

प्रशिक्षण केन्द्रों का समय पर जांच निरीक्षण आंख्या जिला समाज कल्याण अधिकारी फर्स्टखाबाद द्वारा तथा उपनिदेशक समाज कल्याण अधिकारी कानपुर द्वारा की गयी। मुख्य विकास अधिकारी फर्स्टखाबाद द्वारा संस्तुति के तहत निदेशक समाज कल्याण अनुभाग-2 उ०३० लखनऊ को/निदेशक समाज कल्याण की कार्यालयी के अन्तर्गत, विशेष सचिव उ०३० शासन-समाज कल्याण अनुभाग-2 उ०३० लखनऊ तथा विशेष सचिव की कार्यालयी के अन्तर्गत अवर सचिव/अनुसंचिव भारत सराकर के समाज कल्याण मन्त्रालय/सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली में पूर्व वर्षों से प्रस्ताव प्रेषित है।

1. महिला सिलाई कढाई, बुनाई, प्रशिक्षण संचालित किये जायेंगे जैसे-

1. मुहल्ला जंगबाज खां घोड़ा नकास पुलिस चौकी फर्स्टखाबाद में राधेश्याम जयन्त भवन स्वामी के मकान में किराये पर 2. मुहल्ला भोलेपुर फतेहगढ़, फर्स्टखाबाद के प्रेमदास सुमन के भवन पर किराये पर 3. जगदीश प्रसाद वकील ग्राम याकूतगंज विकास खण्ड बड़पर फर्स्टखाबाद में 4. राकेश कुमार मिश्रा मुहल्ला जटपुरा शमशाबाद फर्स्टखाबाद में 5. शंकरलाल ग्राम-अजमतपुर कुंआ खेड़ा तहसील कायमंगज फर्स्टखाबाद में 6. बाबूराम यादव- मुहल्ला शान्तीनगर एटा 7. सर्वेन्द्र कुमार तोमर अवागढ़ हाऊस एटा में 8. स्व० विनोद कुमार श्री वास्तव बहारपुर इटावा 9. मनोज कुमार श्री वास्तव वकील मुहल्ला कटरा, फतेहमहल्ल खां इटावा 10. डा० राकुमार रसूलाबाद कानपुर नगर 11. रघुवीर सिंह मुहल्ला अम्बेडकर कालौनी अतरौली अलीगढ़ 12. गेवालाल भोगांव रोड मैनपुरी 13. राजेन्द्र प्रसाद वर्मा ग्राम-तालग्राम कन्नीजज 14. विश्वम्बरनाथ शुक्ला सिकन्दरपुर कन्नीज 15. नैकूलाल- ग्राम पहाड़पुर (सिरोली) विकास खण्ड मोहम्मदाबाद फर्स्टखाबाद के अन्तर्गत उक्त प्रशिक्षण संचालित रहे। प्रति प्रशिक्षण केन्द्र पर सामिग्री 5 सिलाई मशीन पैरदानों की 10 सिलाई मशीन हाथ की कपड़ा

अध्यक्ष

प्रधान कार्यालय

अलर एटे अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति निकाल लंस्काम

१. २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०.

१०१८० रोड, ...

काटने हेतु मेजज कुर्सी तथा 10 स्टूल 5 मेजे, 3 अलमारी, फश, शीशे की अलमारी छोटे कपड़ों वास्ते। कैची, 3000 महिला/छात्राओं ने कार्य सीख कर परीक्षा के अन्तर्गत उत्तीर्ण कर सिलाई प्रमाण पत्र प्राप्त किये। महिलाएं/छात्राएं अर्द्धसराकरी/प्राइवेट नौकारी प्राप्त कर सकती है। ऐसे परिवारों में जाग्रत की लहर उत्पन्न हो सकती है। प्रति चयन जनपदों जाये कार्यालय स्थापित कर। जैसे- अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बरेली, नगर (नौएडा) हापुड़, सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, शामली, कानपुर नगर, इटावा, फर्स्टखाबाद, कल्मीज, लखनऊ, उन्नाव, सन्तकवीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, आजमगढ़, मऊ, झोसी, जालीन (उरई) में आदि। अन्य जनपद प्रशिक्षण केन्द्र संचालित होंगे।

2. राष्ट्रीय पर्वों पर आयोजन:- 15 अगस्त, 25 जनवरी एवं 2 अक्टूबर के पावन अवसरों पर संस्था के मुख्यालय भवन पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय स्कूल के छात्र-छात्राये अभिभावक गणमान्य अतिथि एवं सेनानी श्री जय शंकर गुप्ता ने भाग लिया। झण्डारोहण के पश्चात् छात्र-छात्राओं द्वारा लोक गीत एवं देश भक्ति गीतों को प्रस्तुत किया गया। साथ ही आजादी के बाद का भारत नामक शीर्षक से एक बाद-विवाद संस्था के अध्यक्ष तथा सेनानी श्री गुप्ता जी के द्वारा पुरस्कृत किया गया। वक्ताओं ने आजादी के सभी मायने बच्चों को बताते हुए अपील की कि वे देश के लिए अपने आप को समर्पित करें अच्छे नागरिक बनें और देश के अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर सबसे आगे जे जाने का प्रयास करें माहत्मा गांधी को याद करते हुए उन्होंने उनके आदर्शी सत्य एवं अहंसा का पालन करने की सलाह दी एवं देश की आजादी में बापू के योगदान पर चर्चा की। इसके बाद सूक्ष्म जलपान कर सभा का समापन किया गया।

3. जनसंख्या नियंत्रण कैम्प- स्थान लोयाबादशापुर (एटा) में संस्था की तरफ से एक अयोजन किया गया जिसमें स्थानीय प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र डॉ। अशोक ने एक परिवार में दो से ज्यादा बच्चे ने ही ऐसा संकल्प लेने का आवाहन किया। गरीबों खासकर अल्पसंख्यक वर्गों को इनियिट करते हुए कहा कि आज परिवार जियोजन के तमाम तरीके सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। जिनका उपयोग कर परिवार को नियंत्रित किया जा सकती है। कम जनसंख्या होने पर सरकार द्वारा उन्हें बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा एवं भोजन आदि उपलब्ध कराया जा सकता है। बेरोलगारी दूर होगी तथा अन्य आर्द्धिक थेट्रों में तरकी होगी। संस्था के संविध ने आवादी पर अंकुश लगाने पर जोर देते हुए कहा कि संस्था परिवार नियोजन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर सम्पर्क करें ताकि उसका निदान किया जा सके।

4. युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम- वर्ष 2012-13 में जिसे युवा वर्ष का नाम दिया गया था युवाओं की देश के प्रति बहुती भागीदारी पर बोलते हुए ब्लाक ईसानगर जिला लखीमपुर खीरी के अध्यक्ष अबरार अहमद ने कहा कि आज के युवा देश की रीढ़ है। अच्छी शिक्षा एवं अच्छे आचरण से हम अपने गाँव, शहर, प्रदेश एवं देश को उन्नतशील एवं समृद्ध बना सकते हैं। संस्था के उपाध्यक्ष ने भारत सराकर द्वारा युवाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार से बताते हुए इस बात पर जोर दिया आज के युवा आगे आये और इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग युवाओं के लिए चालू योजनाओं का लाभ कहाँ से और कैसे ले इस बात को विस्तार से बताया गया।

5. उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम- बहुती जनसंख्या एवं उपभोगवाद संस्कृति को देखते हुए विभिन्न देशी-विदेशी कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों को बेचने के लिए अपनाये जा रहे हैं इयकंडो के बारे में जागरूक करते हुए जिला उपभोक्ता संरक्षण समिति के सदस्य श्री अवध नाय पाल ने बताया कि बहुत से उपभोक्ता अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं रखते इसके पीछे ने करण उनका अशिक्षित होना, दूसरी सरकार द्वारा गाँव देहात में उपभोक्ता अधिकारों की गोष्ठी एवं सभाओं का आयोजन न करा पाना। इस कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पहाड़पुर सिरोली एवं जनपद फर्स्टखाबाद में किया गया। हमें अच्छे एवं धारिया उत्पादों को पहचानने, मिलावटी सामानों का पता लगाना एवं घटौली आदि की जानकारी कैसे करे बताया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र सिंह संघ सदस्य फर्स्टखाबाद बार काउंसिल ने बताया कि उपभोक्ताओं को उत्पादक

अध्यक्ष
प्रधान काउंसिल

जिला प्रभु अधिकारी खाली/प्रभु अधिकारी खाली

कम्पनी द्वारा शिकायत न सुने जाने पर कहाँ और कैसे अपनी शिकायत दर्ज कराए इस कार्य को अधिवक्ता के द्वारा भी एंव संघ के द्वारा भी किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी जनपद के कचहरी न्यायालय में जिला उपमोक्ता संरक्षण कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

6. ग्रामीण विकास कार्यक्रम:- ग्राम कम्पीली जनपद-फर्लखाबाद में आयोजित एक दिवसीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम में बोलते हुए खण्ड विकास अधिकारी नवाबगंज ने बताया कि ब्लाक स्तर पर ग्रामीणों को मिलने वाली तमाम योजनाएं और कैसे प्राप्त किया जाए को किसान भाई सुनें एंव लाभ उठाएं। ग्राम देहात में उपलब्ध संसाधनों का उचित प्रयोग करते हुए रोजगार के अवसर पैदा करें तथा अपना आर्थिक स्तर सुधारें। पचायत सचिव श्री बाबा मिश्र ने बताया कि ग्रामों में सड़क रोजगार, पीने के पानी के लिए हैण्ड पम्प आदि को लिखित आवेदन पर ब्लाक से प्राप्त किया जा सकता है। सड़के राजीव गाँधी ग्राम सड़क योजना तहत कर बनवायी जा सकती है। जिन गाँवों में पचायत भवन बनाकर जिला विकास कार्यक्रम के तहत दिया जाएगा। अन्य ढेर सारी योजनाओं पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष डॉ शैलेन्द्र ने बताया कि देश की खुशहाली एंव तरक्की गाँव देहात के लोगों की तरक्की एंव खुशहाली से ही संभव होगी। अच्छी फसल गाँव-गाँव सड़के बिजली, पानी शिक्षा आदि की पर्याप्त उपलब्धता हो तभी हम तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकेंगे।

भवदीय

आर.बी.वार्म
अध्यक्ष (समिति)

अध्यक्ष
प्रधान कार्यालय
उत्तर प्रदेश अमुख्यमित्र जाहिरियटी यात्रि विकास लॉन्चमेंट
बाजूली मार्गेट। विकास यात्रा के सामने!! एवं दूसरी,
जी०टी० ठीक, २०१०-११

संशोधित नियमावली

१६

- संस्था का नाम : भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोड्डोग विकास समिति
 संस्था का नाम : लोका ग्रामसाधारण, पोस्ट-खाल, जनपद-एव्ह उ० प्र०
 संस्था का कार्यालय : समस्त उत्तर प्रदेश एवं भारतवर्ष
 संस्था के उद्देश्य : भर्ताच व्युत्पत्ति के अनुसार है।

संस्था के सदागरों की योग्यता-

- १) भारत का नागरिक होना चाहिए।
- २) ऐहिला एवं पुरुष नागरिक हो; आयु १८ वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- ३) संस्था का सदस्य यदि जनता द्वारा छुपा हुआ हो या किसी पद पर हो या किसी भराकरी नौकरी में हो सदस्य बनाया जा सकता है।
- ४) संस्था में प्रत्येक सदस्य हस्ताधार करने वाला होना चाहिए।

संस्था के सदस्यता के रूप-


- १) आजीवन सदस्य
- २) साधारण सदस्य
- ३) विशेष सदस्य

आजीवन सदस्य

जो व्यापित संस्था को एकमुश्त 250०० से 1000००० रु० खन्दा दान के सहयोग में देगा वह व्यक्ति आजीवन सदस्य समिति एवं अस्थाई रूप से कर्मचारी द्वारा सकता / सकती है।

साधारण सदस्य

जो व्यापित संस्था को एक मुश्त 500 से 2000 रु० खन्दा दान के सहयोग में देगा वह व्यक्ति साधारण सदस्य समिति एवं अस्थाई रूप से कर्मचारी द्वारा सकता / सकती है। सत्य तिलिङ्ग



3. विशिष्ट सदस्य

(३)

जो व्यक्ति संस्था को एकमुश्ता 100 से 1000 रु. चन्दा दान के सहयोग में देगा वह व्यक्ति साधारण समिति एवं अस्थायी रूप से कर्मचारी द्वारा सकता/सकती है।

1. सदस्यों की समिति -

- 1) मृत्यु होने पर।
- 2) परागल होने पर।
- 3) 'दोषालिश होने पर।
- 4) सदस्यता गुल्क न देने पर।
- 5) जाधारण द्वारा दण्डित होने पर।

संस्था के अंग-

(1) साधारण सभा।

(2) प्रबन्धकारिणी सभा।

1) गठन :-

साधारण समिति का गठन सभी प्रकार के सदस्यों को सम्मिलित करने के उपरांत किया जायेगा।

2) बैठक :-

साधारण समिति की बैठक एक मास में एक बार होती है। यह बैठक अध्यक्ष द्वारा निर्णय से ही की जायेगी। बैठक सभ्यता द्वारा दिन होता है।

3) स्थान :-

एजेन्डा द्वारा सूचित किया जायेगा और साधारण बैठक में इथान के विषय में प्रस्ताव पारित कर लिया जायेगा।

4) बैठक की सूचना :- सभी सदस्यों को साधारण समिति की बैठक की सूचना एजेन्डा या उचित माध्यम से बैठक की तिथि से 7 दिन पूर्व देंदी जायेगी।

5) विशेष बैठक :-

विशेष बैठक संस्था के स्मृति पत्र और नियमावली संसोधन ऐतु प्रस्ताव विशेष बैठक में पारित होते हैं। उन प्रस्तावों की स्वीकृति अध्यक्ष देगा। विशेष बैठक में विसी भी इमरजेंसी के कारण संस्था के हित के लिए बुलाई जा सकती है। जिसकी सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी।

साधारण समिति

साधारण समिति परिषद
द्वारा दिया गया



16/11/2011

साधारण समिति

नमायित

31/12/2011

प्राप्ति

प्राप्ति

प्राप्ति

प्राप्ति

साधारण समिति की प्राप्ति द्वारा दिया गया विशेष समिति
साधारण समिति की प्राप्ति द्वारा दिया गया विशेष समिति
साधारण समिति की प्राप्ति द्वारा दिया गया विशेष समिति

६) गणपूर्ति :-

बैठक की खार्डवाही उस दशा में प्रारम्भ होगी जब सदस्यों के योग के दो तिहाई सदस्य उपस्थित हों। अन्यथा बैठक कोरप्ट के अधाव में अध्यक्ष द्वारा स्थानित कर दो जायेगी।

७) विशेष वार्षिक अधिक्षेशन :- वार्षिक अधिक्षेशन वर्ष में एक बार अवधय होगी, जिसका स्थान, हिमांक एवं भूमय का अनुनोन प्रबंधकारिणी समिति करेगी।

८) साधारण सभा के आधिकारिक कार्य :-

१. संस्था के आय-धर्य का सेखा जोखा पर विचार करना।
२. संस्था के रामय खुर्चे पारित करना।
३. बैलेन्सशीट पर विचार करना।
४. अगले वर्ष की योजना बनाना।
५. अगले वर्ष का बजट बनाना।
६. अन्य प्रकार के संस्था के समर्ता कार्यों पर विचार करने पड़े हो, को तय कर देना।
७. वर्णन/अनुदान के लिए योजना बनार करना।
८. संस्था की प्रबंधिति के लिए जो भी अन्य कार्य हो, को तय करना।

९) चुनाव :-

१. प्रबंधकारिणी समिति द्वारा चुनाव के लिए नियम दिया जायेगा। जिसका कार्यकाल ५ वर्ष के लिए होगा।
२. आणीषम अध्यक्ष होगा।
३. चुनाव की दूसरी प्रतिपादा पदि भोवं सदस्य अध्यक्ष, वोचाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के चुनाव हेतु विरोध करने के लक्ष होता है, तो आप सुधिधा अध्यक्ष के आदेशानुसार प्लॉड पढ़ति द्वारा की जायेगी।



अध्यक्ष विवर
आर. वी. वर्मा
अध्यक्ष

२५ निवास
संघ दोवाइटा नं ५८ पर्स
सरावन नगर, असम

१ - १०

१. नाम निर्देशन बांधिल करना।
२. नाम निर्देशन पर्वों का चिरीक्षण करना।
३. नाम निर्देशन सूची का प्रदर्शन करना।
४. नाम निर्देशन के सम्बंध में आपत्तियों का निरसारण।
५. विधि अन्य नाम निर्देशन की सूची का प्रदर्शन और विज्ञापन।
६. नाम निर्देशन के सम्बन्ध में आपत्तियों का सुल करना।
७. नाम निर्देशन बापस लेना।
८. नाम निर्देशन की बापसों के पश्चात् यदि कोई हो तो सूची को अन्तिम रूप देना।
९. उपयुक्त व्यक्ति के चुनाव हेतु निर्धारित अधिकारी रजिस्टर्ड सोसाइटी एट चिट्स ल० प्र० एक्ट हो करेगा; अन्यथा संस्था किसी किसी भी राज अधिकारी को चुनाव अधिकारी नहीं बना सकता विनाश सही हो तो किसी को आपत्ति न हो।
१०. चुनाव के दौरान कोई भी दोषकालीन नहीं बना सकता विनाश का कार्य सुखाकरण से छलता रहेगा। उमाकर्म भी अपनी प्रतिवेदन करेगा। उसके समानित तरह घट का कार्य सौंप दिया जाएगा।
११. निर्वाचन अधिकारी को अधिकारी चुनने के लिए साधारण सभा में अध्यक्ष के द्वारा प्रारित किया जायेगा।

१२. साधारण सभिता के अधिकारी व फर्माव्य

१. संस्था अधिकारी को अधिकारी चुनने के लिए साधारण सभा में अध्यक्ष के द्वारा रारित किया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि
प्रभागित

३११०९० वर्ष
गृह्यार्द वी. वर्णा
संस्था
कानपुर पार्श्व हो गाँधीग विकास सभा
के द्वारा दीवाना दीवाना के साथ
१० वर्ष, वर्ष, संस्था, वर्णा

संस्था अधिकारी
रजिस्टर्ड सोसाइटी एट चिट्स
कानपुर, उत्तर प्रदेश



2. सदस्यता हेतु प्रार्थना पत्रों की संस्कृति प्रदान करना, व सदस्यता से भलाने की स्वीकृति अध्यक्ष से लेना।
3. मंस्था का धार्यक बैठक पारित करना।
4. संस्था का धार्यक रिपोर्ट तैयार करना।
5. समिति के बागाजाँ का रख-रखाव ठीक प्रकार से रखना तथा समस्त बागाजाँ को लिखाकर भूटी करने पत्री छापस्था करना।
6. पारिश्रमिक का भुगतान किसी भी सदस्य को उन सेवाओं के लिए जो उसने मंस्था के लिए की है पारिश्रमिक दिया जायेगा।
7. साधारण बैठक में सदस्यों के बेतन, भजदूरी, भत्ता व अन्य भुगतान हेतु जिचा विमर्श कारो प्रस्ताव पारित होकर भुगतान किये जायेंगे, जो प्रस्ताव अध्यक्ष के द्वारा पारिश्रमिक समिति को भुगतान करना।
12. प्रबन्धकारिणी समिति का गठन :-

1. संस्था और प्रबन्धकारिणी समिति के द्वारा नियम की जायेगी, जो साधारण ज्ञानकी में लिखी जायेगी।
2. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बोषाध्यक्ष, मंत्री, कार्यलय सचिव, ऑफीसर पदेन सदर्य पौंछ कुए संख्या 9 होगी।
3. बैठक - प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक हर साल में हो आयोजित की जायेगी। जिसकी तिथि बैठक में तय कर दी जायेगी। विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकती है।

सदस्य समिति

दूसरी पात्रांकित दूसरी प्रियता
वायर्स वै. वै. १०८५

(१) १०८५



सत्य गतिलिपि

प्रमाणित

३०१२० वी० व्हन्न

मार्च २०१२ वी० व्हन्न
सदस्य समिति दूसरी प्रियता
वायर्स वै. वै. १०८५

1. सूचना अधिकारी - सभी सदस्यों तथा प्रबन्धकालियों को बैठक की सूचना दरकार को तिथि से काम से कम 7 दिन अद्यता विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व ही जायेगी।
2. गणपूर्ति - बैठक को गणपूर्ति दो तिहाई घण्टमत सदस्यों की उपस्थिति पाने पर पूर्ण होगी। अधिकारी बैठक का केवल पूर्ण न होने पर कारण अध्यक्ष हार प्रतिगत कर दी जायेगी।
3. कार्यकाल - प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 घण्टे रहेगा।

१३. प्रबन्धकारिणी समिति:

1. संस्था की उन्नति के लिए कार्य करना।
 2. भूमि, भवन खरीदना व अनुदान आदि।
 3. संस्था के लिए ऋण/अनुदान की व्यवस्था करना।
 4. प्रचार आदि को पूर्ण व्यवस्था करना।
 5. नियमाबलों, स्मृति पत्र में संशोधित आदि की कार्यधारी की संस्कृतियों पर निर्णय की स्वीकृति प्रदान करना।
 6. साधारण समिति की संस्कृतियों की स्वीकृति प्रदान करना।
 7. पश्चीम आदि और प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के विकास की स्वीकृति प्रदान करना।
 8. रिक्त स्थानों की पर्याप्त विज्ञापन समिति के लिए तिहाई सदस्यों द्वारा घटमत से की जायेगी।
- अध्यक्ष
1. अध्यक्ष के अधिकार विवरण के लिए समस्या व आवश्यक बैठक को अध्यक्षता करना।
 2. संस्था की बैठक में समस्त बत आने पर निर्णय हेतु।
 3. संस्था के सभी कार्यों का निरीक्षण करना।
- सत्य प्रतिक्रिया
4. आवश्यकता होने पर संस्था को इस हजार रुपये तक व्यय करने का अधिकार।

सत्य प्रतिक्रिया

इस प्रतिक्रिया
मेरे होमार्डान २१ विद्या
शालाम लौ०, प्रां०



अध्यक्ष
प्रमाणित
द्वारा दिया गया। यह एक वार्ता विवरण विकास समिति
द्वारा दिया गया। यह एक वार्ता विवरण विकास समिति
द्वारा दिया गया। यह एक वार्ता विवरण विकास समिति

5. संस्था के पदाधिकारीगण, सदस्यों को उचित सलाह निर्देश देना।

अध्यक्ष वर्गी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सभी प्रकार के कार्य जो अध्यक्ष करता है।

मंत्री

1. मैठक की सूचना सभी पदाधिकारियों व सदस्यों को उचित पाठ्यम से देना।
2. संस्था की मैठक अध्यक्ष की सहमति से आयोगित करना।
3. बैठक की फार्माचाही का संचालन करना।
4. संस्था के आय व्यय की सूचना पटल पर रखना।
5. संस्था के कार्यों में अध्यक्ष की सहमति से एक हजार रुपये तक व्यय करने वा अधिकार होगा।
6. छण/अनुशासन आदि सभी प्रकार के कार्य करना।

कार्याधिकारी-

1. संस्था के धन वा समस्त व्यवस्था के दृष्टिकोण से ज्ञान करना व निकालना।
2. संस्था के धन को व्यवस्थापूर्ति में जमा करना व निकालना।
3. संस्था के आय व्यय समस्त लेखा जोखा करना।
4. अध्यक्ष वा उन निर्देशानुसार इनपाया निकालना।
5. समस्त कागाज का लेखा जोखा करना।
6. कोणाड्यक्ष वा उन निर्देशानुसार इनपाया वा उन निकालना व निकालना। इन व्यवस्था की व्यावस्था करना एवं भारत सरकार से भी सनुदान लहापता अर्द्धेना। इस धनतारी वा धार्माण के त्रों में अध्यक्ष के निर्णय से बंटवाने का अधिकार होगा।

कार्यालय सचिव-

समस्त कार्यालय की व्यावस्था करना एवं भारत सरकार से भी सनुदान लहापता अर्द्धेना। इस धनतारी वा धार्माण के त्रों में अध्यक्ष के निर्णय से बंटवाने का अधिकार होगा।

भूत्य तिलिपि
प्रमाणित

जमस्ता लेखा जोखा का आदेश करना तथा निरीक्षण करना आदि।

आदेश-
संघ अधिकारी

संघ अधिकारी एवं विद्युत
वार्षिक बंधु, भारत।



डॉ०१०९१८८१
प्रा० वा० वा० वा०
दा० वा० वा० वा०
संघ अधिकारी विद्युत वार्षिक बंधु
इष्ट वा० वा० वा० वा० वा० वा० वा०
इष्ट वा० वा० वा० वा० वा० वा० वा०

23


25

उद्योग विभाग एवं मंत्रालयों एवं विदेशों से सहायता एवं अनुदान लेगी। उभसकी वापसी हेतु संस्था के प्राप्तेक सदस्य की बल अपल सम्पत्ति से ऋण/अनुदान की वसूली का अधिकार सरकार को होगा। यूर्वा में भटाचार्य गवे सदस्यों से वापस करने का अधिकार होगा।

संस्था का जो भी अध्यक्ष होगा वह संस्था का संस्थापक के नाम से भी कहा जा सकता है, संस्था का अध्यक्ष संस्था का आजीवन सदस्य है।

19. संस्था का अधिलेख-

1. सदस्य रजिस्टर
2. कार्यबाही रजिस्टर
3. एजेण्ट्स रजिस्टर
4. कैश बुक आदि



संस्था के विधिवत नियंत्रण के कार्यबाही सीसाइटेज रजिस्टर की भारा 13 व 14 के अन्तर्गत होगी।

दिनांक २५.१२.१०

प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर

1. प्रबन्धकारिणी समिति
2. प्रबन्धकारिणी समिति
3. प्रबन्धकारिणी समिति
4. प्रबन्धकारिणी समिति

सत्य प्रतिलिपि
प्रभागित

आर. गी. रमा
आर. गी. रमा
प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य
एवं विदेशी सदस्यों के सदस्य
द्वारा दिया गया है।



सत्य प्रतिलिपि
प्रबन्धकारिणी समिति
प्रबन्धकारिणी समिति
प्रबन्धकारिणी समिति

१६.१२.१०

संशोधित स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम - भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति
2. संस्था का पता - लोया बादशाहपुर पोस्ट खास जनपद एटा (30 प्र०)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण भारत
4. संस्था के उद्देश्य की पूर्ति हेतु :
 - (1)-उद्देश्य की पूर्ति हेतु - कार्यक्षेत्र में सिलाई कढाई, बुनाई, कारीगरों पुरुषों/महिलाओं की उन्नति हेतु सिलाई, कढाई, बुनाई प्रशिक्षण केंद्रों के अंतर्गत निर्बल गरीब परिवारों की महिलाओं हेतु सम्पूर्ण भारत में विकास करना.
 - (2)- विभिन्न-विभिन्न योजनाओं के प्रशिक्षण केंद्रों की व्यवस्था कर ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 20 प्रतिशत विकास कार्य करना.
 - (3)- विकास योजनाएं, हेतु आर्थिक सहायता, जिला समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड/जिला परिषद/जिला विकास विभाग/जिला पंचायत राज विभाग/ जिला कार्यक्रम विभाग जिला प्रोफेशन विभाग/ जिला पिछड़ा वर्ग विभाग/जिला कृषि विभाग/ जिला मत्स्य विभाग/ जिला ढूँढा विभाग/ जिला खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/ समाज कल्याण बोर्ड/ जिला उद्यान विभाग/ विकास खंडों/अन्य विभागों द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों/विदेशों/ राज्य सरकारके उक्त विभागों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से संस्था की उन्नति हेतु आर्थिक वित्त पोषित सहायता निर्बल गरीब परिवारों जेसे, अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति/जनजाति/सामान्य जाति/अल्पसंख्यक जेसे- पुरुषों/महिलाओं छात्र/छात्राएं/विकलांगों/नेत्रहीनों/मूकबधिरों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के अंतर्गत शिक्षा, उत्थान, कौशल विकास योजनाए, भवन निर्माण, पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण शौचालय, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सूअर पालन, बकरी व भेड़ पालन, भैंस पालन/गौशाला ग्राम पंचायत की मनरेगा योजना में सहयोग कराना.
 - (4)- जनता का सुधार संपूर्ण भारत में शिक्षा कार्य, विद्यालय क्रीड़ा स्थलों, पुस्तकालयों, अम्बेडकर पार्क/मूर्तियों अन्य योजनाओं में सुचारू रूप से सहयोग व स्थापना करना.
 - (5)- खांदी के वस्त्र जेसे- सूती, टेरीकोट, रेशम, ऊनी, खादी के नए-नए छोटे-बड़े कपड़ों पर कढाई कराकर पुरुषों/महिलाओं, बच्चे, बच्चियों हेतु बाजारों में बेजकर स्वतः रोजगार उपलब्ध कर सकते हैं.



(6)- संस्था के उद्देश्य की पूर्ति हेतु शिक्षित बेरोजगारों युवकों/युवतियां निर्धन निर्बल परिवारों हेतु तकनीकी, शिक्षा, टंकण कला, केंद्रों की स्थापना कर आत्म निर्भर नागरिक बनने का प्रयास करना.

(7)- संस्था के कार्य कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्रों, औद्योगिकी, शिक्षा, कालीन, प्रशिक्षण केंद्रों, टंकण, शॉट हैंड, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और सामाजिक क्षेत्रों मध्यनिषेद कार्यक्रमों का आयोजन हेतु प्रचार कराकर जनता का सर्वांगीण विकास करना.

(8)- संस्था के उद्देश्य हेतु अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति/सामान्य जाति/अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धन निर्बल परिवारों में बच्चे/ बच्चियों हेतु नरसंरी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा में कार्य स्थापित कर संचालित किए जाएंगे.

(9)- संस्था के उद्देश्य हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/सामान्य जाति/अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धन निर्बल परिवारों के पुरुषों/महिलाओं छात्रों/छात्राओं विधवाएँ/वृद्धों में शिक्षा उत्थान योजनाओं के अंतर्गत छ्युटी पार्लर, कारपेंटरी, बाल विकास कार्य, वृक्ष रोपण, सड़कों, स्कूलों, आंगनबाड़ी, केंद्रों, मनरेगा योजना और मरम्मत निर्माण, पेयजल व्यवस्था, समशान घाट, सार्वजानिक स्थानों पर कार्य करना.

(10)- संस्था के उद्देश्य हेतु विकास कार्य वृद्धों पुरुषों/महिलाओं/अनाथों, विकलांगों, नेत्रहीनों, मूक-बधिर को भोजन कपड़ा अंग, सहायता प्रशिक्षण केंद्रों एवं पेंशनरों की सुविधा उपलब्ध कराकर सर्वांगीण विकास कार्यक्रम के . अंतर्गत करना.

(11)- संस्था के उद्देश्य की पूर्ति हेतु विकास कार्य वैश्याओं के बच्चों/बच्चियों हेतु शिक्षा, व्यवस्था, टंकण, कम्प्यूटर, शॉट हैंड, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना कार्य करना

(12)- संस्था के उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्धन परिवारों जेसे अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य जाति/पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक वर्ग हेतु बच्चों/बच्चियों हेतु और छात्रों/छात्राओं में शिक्षा उत्थान हेतु और प्रशिक्षण केंद्रों के अंतर्गत, कक्षा 1 से 12 तक विद्यालयों, कॉलेजों, डिग्री कॉलेज, कन्या विद्यालयों, महाविद्यालयों, उर्दू विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, अनावसीय विद्यालयों, अम्बेडकर कॉलेजों, कक्षा 1 से 12 तक, पालीटेक्निक, यूनिवर्सिटी, विद्यालयों, शिशु स्कूल, आश्रम पद्धति स्कूलों, प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाईस्कूल, आई टी आई केंद्रों 10 बेड अस्पतालों से 300 बेड स्वास्थ्य अस्पतालों और डिस्पेंसरी (चल अस्पतालों) छात्रावासों का अन्य निर्माण स्थापना कर, शिक्षा, तथा दवाइया, मरीजों को भर्ती कर निःशुल्क कार्य करने का समिति का उद्देश्य है.

(13)- संस्था के उद्देश्य की पूर्ति हेतु 50 बालक हेतु, बाल गृह, वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम, महिलाओं/पुरुषों में संस्कृति नित्य कला प्रोग्राम प्रशिक्षण कार्य- बी. एड., एम. बी. ए., ट्रामा सेंटरों, बी. टी. सी., मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कर संचालित के अंतर्गत छात्रों/छात्राओं को अनुसूचित



भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, लोया बादशाहपुर पो० खास जिला-एटा की
कार्यकारिणी समिति की सूची वर्ष-2020-2021

क्रम सं० नाम	पता	पद	वर्गसाय
1—श्री रामबाबू वर्मा पुत्र स्व० श्री चिरंजीलाल	ग्राम लोया बादशाहपुर पोस्ट व जिला-एटा	अध्यक्ष	कृषि
2—श्रीमती मीना कुमारी पत्नीश्री रामबाबू वर्मा	उमानगर अम्बेडकर पीली कोठी के पास पोस्ट भद्रेसी जिला-अलीगढ़	उपाध्यक्ष	कृषि
3—श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नीश्री अनिल कुमार गौतम	ग्राम गढ़िया पो० चिरगांव तह० जलेसर जिला-एटा	कोषाध्यक्ष	कृषि
4—श्री रघुरेश कुमार पुत्रश्री नेकसेलाल	ग्राम बघीली पो० शाहदतनगर जनपद एटा	मंत्री	कृषि
5—श्रीमती छोटीदेवी पत्नीश्री लीलाधर	मोहल्ला लाला नगला जी०टी रोड सिकन्दराबाद हाथरस	कार्यालय सचिव कपि	
6—श्रीमती लालवती पत्नीश्री महेश चन्द्र	मोहल्ला भोलेपुर पो० फतोहगढ़ फरुखाबाद	पदेन सदस्य	कृषि
7—श्री राजेश कुमार पुत्र स्व०श्री नेकसेलाल	ग्राम बघीली पो० शाहदतनगर जनपद एटा	आडीटर	कृषि
8—श्री महेन्द्रपाल सिंह पुत्रश्री देशराज	ग्राम व पो० लोयाबादशाहपुर एटा	पदेन सदस्य	कृषि

संहिता प्रतिलिपि

10-३-२०२०

२५८२१४१२

गृह-प्रतिलिपि

२१-१-२१



जाति/पिछड़ी जाति के उच्चस्तर शिक्षा के छात्रों/छात्राओं को आई.ए.एस., पी. सी. एस., कोचिंग सेंटर आदि को जागरूक रखा से ऊपर निःशुल्क कार्यक्रमों के अंतर्गत और स्वतःरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। सम्पूर्ण भारत में विकास कार्य करने का समिति का उद्देश्य है

संशोधित नियमावली

(1)- संस्था का नाम - भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोदयोग विकास समिति

(2)- संस्था का पता - लोया बादशाह पर पोस्ट खास जनपद एटा - (उ०प्र०)

(3)- संस्था का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण भारत

(4)- संस्था के उद्देश्य - संशोधित स्मृति पत्र संलग्न के अंतर्गत.

(5) - संस्था के सदस्यों की योग्यता -

1. भारत का नागरिक हो

2. महिला/पुरुष नागरिक हो, आयु सीमा अवधि 18 वर्ष से कम न हो।

3. संस्था का सदस्य यदि जनता द्वारा चुना हुआ हो या किसी पद पर हो या किसी सरकारी नौकरी में हो तो सदस्य बनाया जा सकता है।

4. संस्था में प्रत्येक सदस्य हस्ताक्षर करने वाला तथा शिक्षित होना चाहिए।

(6)- संस्था के सदस्यता के वर्ग -

1. आजीवन सदस्य

2. साधारण सदस्य

3. विशिष्ट सदस्य

1. आजीवन सदस्य

जो व्यक्ति संस्था को एक मुक्त 200000 रु० से 500000 लाख रुपये विकास कार्यों हेतु अपनी तथा परिवार की इच्छानुसार चन्दा दान का सहयोग देगा वह व्यक्ति शिक्षा अनुभव के तेहत अस्थाई रूप से अधिकारी कर्मचारी/मुख्यालय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति विकास संस्थान/मंडल कार्यालयों/जिला कार्यालयों पर सदस्य गणों के रूप में और समिति के सदस्य गण बन सकते हैं चंदा दान कभी वापिस नहीं होगा।

2. साधारण सदस्य



जो व्यक्ति संस्था को एक मुश्त 1000 रु से 5000 रु चन्दा दान के विकास कार्यों हेतु अपनी तथा परिवार की इच्छानुसार देगा वह साधारण सदस्य बन सकता है चन्दा दान कभी वापिस नहीं होगा. .

3. विशिष्ट सदस्य

जो व्यक्ति संस्था को एक मुश्त 500 रु से 1000 रुपये चन्दा दान विकास कार्यों हेतु अपनी तथा परिवार की इच्छानुसार देगा वह विशिष्ट सदस्य बन सकता है दिया गया चन्दा दान वापिस नहीं होगा.

(7)- सदस्यता की समाप्ति

1. मत्यु होने पर
2. पागल होने पर
3. दिवालिया होने पर
4. सदस्यता शुल्क न देने पर.
5. न्यायालय द्वारा दंडित होने पर

(8)- संस्था के अंग

1. साधारण सभा
2. प्रबंधकारिणी सभा

1. (A) गठन - साधारण समिति का गठन सभी प्रकार के सदस्यों को सम्मिलित करने के उपरांत किया जाएगा.

(B)- बैठक - साधारण समिति की बैठक प्रत्येक मास में एक बार होगी. यह बैठक अध्यक्ष के निर्णय से की जाएगी इसका समय 11बजे दिन में होगा.

(C)- एजेंडा द्वारा सूचित किया जाएगा जो साधारण बैठक में स्थान के विषय प्रस्ताव पारित कर लिया जाएगा.



(D)- बैठक की सूचना सभी सदस्यों को साधारण समिति की बैठक की सूचना एजेंडा या उचित माध्यम से बैठक की तिथि 7 दिन पूर्व दे दी जाएगी.

(E)- विशेष बैठक :- विशेष बैठक संस्था के स्मृति पत्र और नियमावली संशोधन हेतु प्रस्ताव विशेष बैठक में पारित होंगे। उन प्रस्तावों की स्वीकृति अध्यक्ष देगा। विशेष बैठक में किसी भी इमर्जेंसी के कारण संस्था के हित के लिए बुलाई जा सकती है जिसकी सूचना 24 घंटे पूर्व दी जाएगी।

(F)- गण प्रति :- बैठक की कार्यवाही उस दशा में प्रारम्भ होगी। जब सदस्यों के भाग के दो तिहाई सदस्य उपस्थित हो अथवा बैठक कोरम के अभाव में अध्यक्ष द्वारा स्थगित कर दी जाएगी।

(G)- विशेष वार्षिक अधिवेशन - वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होगी। जिसका स्थान दिनांक एवं समय अनुमोदन, प्रबंधकारिणी समिति करेगी।

(H)- साधारण सभा के अधिकार व कार्य :

1. संस्था के आय-व्यय का लेखा जोखा पर विचार करना।
2. संस्था के समय खर्च परित करना।
3. बैलेन्स शीट पर विचार करना।
4. अगले वर्ष की योजना बनाना।
5. अगले साल का बजट बनाना।
6. अन्य प्रकार के संस्था के समस्त कार्यों जो बष्टी से रुके पड़े हों को तय कर देना।
7. कृष्ण अनुदान के लिए योजना तैयार करना...
8. संस्था की प्रगति के लिए जो भी अन्य कार्य हो को तय करना।

(9)- चुनाव

1. प्रबंधकारिणी समिति का चुनाव साधारण सभा द्वारा किया जाएगा। जिसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा।
2. आजीवन अध्यक्ष होगा।
3. चुनाव की दूसरी प्रक्रिया यदि कोई सदस्य अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधकारिणी, समिति सदस्यों के चुनाव हेतु विरोध करके खड़ा होता है तो आप सुविधा अध्यक्ष के आदेशानुसार प्लेड पद्धति द्वारा की जाएगी।



4. अगर कोई समिति के नाम से या प्रधान कार्यालय के नाम से अपनी इच्छानुसार यूनियन बनाई गयी हो तो उसे निरस्त समझा जाएगा.
- (2)- अध्यक्ष की आजानुसार तथा चुनाव प्रक्रिया के तहत यूनियन बनाई जाती है क्षेत्र के अंतर्गत जो मंडल कार्यालय आगरा द्वारा यूनियन का पंजीकृत हो तभी मान्य होगी.
1. नाम निर्देशन दाखिल करना.
 2. नाम निर्देशन पत्रों का निरीक्षण करना.
 3. नाम निर्देशन सूची का प्रदर्शन करना.
 4. नाम निर्देशन के सम्बंध में आपत्तियों का निस्तारण.
 5. विधि अन्य नाम निर्देशन की सूची का प्रदर्शन और विज्ञापन.

८१-११-१५ 6. नाम निर्देशन के सम्बंध में आपत्तियां प्रस्तुत करना.

7. नाम निर्देशन वापिस लेना.

- (3)- नाम निर्देशन की वापसी के पश्चात यदि कोई हो तो सूची को अंतिम रूप देना.
- (4)- उपयुक्त व्यक्त के चुनाव हेतु निर्वाचित अधिकारी रजिस्टर्ड सोसायटी ऐक्ट चिट्स 30 प्र० ऐक्ट ही करेगा अन्यथा संस्था किसी भी राज अधिकारी को चुनाव हेतु यहाँ निर्णय हो और किसी को आपत्ति न हो.
- (5)- चुनाव के दौरान कोई भी बैठक भंग नहीं की जाएगी संस्था का कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा चुनाव में अपनी प्रभावी होगा उसके सम्मानित उस पद का कार्य सौंपा जाएगा.
- (6)- निर्वाचित अधिकारी को अधिकारी चुनने के लिए साधारण सभा में अध्यक्ष द्वारा पारित किया जाएगा.
- (10). साधारण समिति के अधिकार व कर्तव्य - :-
1. संस्था अधिकारी को अधिकारी चुनने के लिए साधारण सभा में अध्यक्ष के द्वारा पारित किया जाएगा
 2. सदस्यता हेतु प्रार्थना पत्रों की संस्तुति प्रदान करना व सदस्यता से अलग करने की स्वीकृति अध्यक्ष से लेना.
 3. संस्था का वार्षिक बजट पारित करना.



4. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना.
5. समिति के कागजातों का रख रखाव ठीक प्रकार से रखना तथा समस्त कागजातों को लिखकर पूरी करने की व्यवस्था करना.
6. पारिश्रमिक का भुगतान किसी भी सदस्य को उन सेवाओं के लिए है जो उनके लिए पारिश्रमिक दिया जाएगा.
7. साधारण बैठक में सदस्यों अस्थाई कर्मियों के वेतनमान, वेतन, मजदूरी, भत्ते व अन्य भुगतान हेतु विचार विमर्श करके प्रस्ताव पारित कर भुगतान किए जाएंगे प्रस्ताव अध्यक्ष के द्वारा पारित होगा.

(11) प्रबंध करनी समिति की गणना :

११-११-११११ १. संस्था की प्रबंधकारिणी समिति सदस्यों द्वारा गठित की जाएगी जो साधारण समिति में निर्वाचित हो गयी है २. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री, कार्यालय सचिव, ऑडिटर ६ कुल संख्या ९ होगी. ३. बैठक प्रबंधकारिणी समिति की बैठक हर साल में दो बार आयोजित की जाएगी जिसकी तिथि बैठक में तय कर दी जाएगी विशेष बैठक लिंगायती आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलायी जा सकती है।

4. सूचना अवधि सभी सदस्यों तथा पदाधिकारियों की बैठक की सूचना बैठक की तिथि से कम से कम ७ दिन अथवा विशेष सूचना दी जाएगी.
5. गण पूर्ति - बैठक की गण पूर्ति दो तिहाई बहुमत सदस्यों की उपस्थिति होने पर पूर्ण होगी अथवा बैठक

का कॉलम पूर्ण न होने पर कारण अध्यक्ष द्वारा स्थगित कर दी जाएगी.

6. कार्यकाल - प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल ५ वर्ष रहेगा.

(12)- प्रबंधकारिणी समिति

1. संस्था की उन्नती के लिए कार्य करना.
2. भूमि भवन खरीदना व बनवाना आदि.
3. संस्था के लिए ऋण/अनुदान वित्त पोषित हेतु व्यवस्था करना.
4. प्रचार आदि की पूर्ण व्यवस्था करना.
5. नियमावली स्मृति पत्र संशोधित आदि की कार्यवाही की संस्तुति पर निर्णय की स्वीकृति प्रदान करना.



6. साधारण समिति की संस्तुति पर निर्णय की स्वीकृति प्रदान करना. 7. मरीन आदि और प्रचार हेतु व माल लाने ले जाने हेतु बहानो तथा कार्यालयो हेतु क्रय करने का अधिकार होगा. 8. रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति साधारण समिति के दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से की जाएगी.

अध्यक्ष

1. अध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य के समय की समस्या व आवश्यक बैठक की अध्यक्षता करना.
2. संस्था की बैठक में समस्त मत आने पर निर्णय लेना.
3. संस्था के सभी कार्यों का निरीक्षण करना.

४. आवश्यकता होने पर संस्था की 25 हजार रुपये तक व्यय करने का अधिकार. 5. संस्था के पदाधिकारी सदस्यों को उचित सलाह निर्देश देना/अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष

मीना कुमारी सभी प्रकार के कार्य जो अध्यक्ष करता है.

किसान सभी मंत्री

८. बैठक की सूचना सभी पदाधिकारी व सदस्यों को उचित माध्यम से देना. 2. संस्था की बैठक अध्यक्ष की सहमती से आयोजित करना. 3. बैठक की कार्यवाही का संचलन करना. 4. संस्था के आय-व्यय की सूचना पटल पर रखना. 5. संस्था के कार्यों में अध्यक्ष की सहमति से दस हजार रुपये तक व्यय करने का अधिकार होगा. 6. कृषि वित्त पोषित अनुदान सहायता आदि सभी प्रकार के कार्य करना.

कोषाधिकारी

1. संस्था के धन की समुचित व्यवस्था करना.
2. संस्था के धन को राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा करना व निकालना.
3. संस्था के आय व्यय समस्त लेखा जोखा करना.
4. अध्यक्ष के निर्देशानुसार रुपये निकालना.
5. समस्त कागजातों का लेखा जोखा करना.
6. कोषाध्यक्ष यदि मीटिंग में नहीं आती है तो केबल अध्यक्ष के नाम ही राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खोला जाएगा तथा धन निकाला जाएगा.

कार्यालय सचिव



समस्त कार्यालय की व्यवस्था करना एवं राज्य सरकार/भारत सरकार/विदेशों से वित्त पोषित सहायता आएगी उस धन राशि का 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 20 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में अध्यक्ष के निर्णय से योजनाओं व कार्यालयों पर व्यय करने का अधिकार होगा।

ऑडिटर

समस्त लेखा जोखा का ऑडिटर करना तथा निरीक्षण करना आदि. कार्यकाल - संस्था के कार्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, कार्यालय सचिव, ऑडिटर, पदेन सदस्य अधिकारी के बैठने की व्यवस्था की जाएगी और अन्य सदस्यों के लिए भी।

१३- संस्था के नियमों एवं संशोधन प्रक्रिया - संशोधन हेतु, विशेष बैठक, साधारण बैठक, प्रबंधकारिणी बैठक के नियमानुसार प्रस्ताव पारित होंगे। तथा प्रस्तावों की स्वीकृति अध्यक्ष ही देगा।

१४- संस्था का कोष - संस्था के समस्त कोष को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीयकृत बैंकों, डाकखाने में खाता खोलकर जमा किया जाएगा जिसके नियमों के लिए अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष की संस्तुति से भी निकाला जा सकता है। तथा कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में केवल अध्यक्ष के नाम से खाता खोल कर धन निकाला जा सकता है।

१५- संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण - 1. संस्था की आय व्यय की जांच प्रति वर्ष ऑडिटर द्वारा करायी जायेगी।

१६- संस्था अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही का संचालन - यदि संस्था पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है या संस्था पर कोई कानूनी कार्यवाही करेगा तो उसकी देखरेख समस्त प्रबंधकारिणी समिति के पक्ष से भी की जाएगी। और मुख्य कार्यालयों/प्रधान कार्यालयों/मंडल कार्यालयों/ जिला कार्यालयों/ योजना कर्मियों द्वारा की जायेगी।

१७- विवादः - संस्था अपना विवाद सम्पूर्ण समस्त के किसी न्यायालय में दायर कर सकेगी जो कि विधान दायर करने के क्षेत्र के अंतर्गत है। 18. संस्था के मुख्य नियम - संस्था के स्मृति पत्र में विभागों राज्य सरकार भारत सरकार के मंत्रालयों /विदेशों वित्त पोषित सहायता आएगी उस धन राशि को योजनाओं कार्यालयों पर नियम के अंतर्गत व्यय की जाएगी। संस्था के प्रत्येक सदस्य तथा कार्यालयों के वरिष्ठ कर्मियों की चल अचल संपत्ति से क्रृप्रतीय अनुदान की वसूली का अधिकार राज्य सरकार/भारत सरकार को होगा। पूर्व से हटाये गए सदस्यों से वसूली का अधिकार नहीं होगा। संस्था का जो भी अध्यक्ष होगा व संस्था का संस्थापक के नाम से भी कहा जा



सकता है। संस्था का अध्यक्ष आजीवन सदस्य है अध्यक्ष के परिवार का ही बन सकता है अन्य कोई नहीं बन सकता।

19 संस्था के अभिलेख

1. सदस्य समिति और कार्यालयों के कर्मियों का रजिस्टर.
2. कार्यवाही रजिस्टर.
3. एजेंडा रजिस्टर.
4. कैश बुक अन्य आदि।

संस्था के विधिवत की निस्तारण की कार्यवाही सोसायटी रजिस्ट्रेक्ट की धारा 13 व 14 के अंतर्गत होगी।

दिनांक.....

प्रबंधकारिणी समिति के हस्ताक्षर

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	रमेश बाबू मर्मी	अध्यक्ष	०१-९१०७५५१
2.	मीना कुमारी	उपाध्यक्ष	२१-११०८५५१
3.	विजयलक्ष्मी	कोषाध्यक्ष	विजयलक्ष्मी
4.	रघुरेश कुमार	कार्यकारी	रघुरेश कुमार

प्रमाणित
०१-९१०८५५१
आर.वी.वर्मा

अध्यक्ष/संस्थापक



संशोधित स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : भारतीय ग्रामीण ऐत्र ग्रामोद्योग विकास समिति
2. संस्था का पता : लोवा बादशाहपुर, पोस्ट-खास, जनपद-एटा, ३०४०
3. संस्था का कार्यक्षमता : समस्त ३० प्र० एवं भारत वर्ष
4. संस्था के उद्देश्य :

कार्य ऐत्र ये सिलाई कड़ाई, बुनाई, कारोगारी एवं पुरुष/महिलाओं की उन्नति सिलाई हेतु सिलाई, चाढ़ाई, चुनाई गरीबों एवं महिलाओं तक सम्पूर्ण ३० प्र० में विकास करना है।

2. विभिन्न सिलाई कड़ाई, बुनाई, के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं महिलाओं के विकास करना और सहयोग करना।

3. ग्रामीण, चाढ़ाई, बुनाई के बासे विकास के उल्लेख की पृति हेतु ३० प्र० अमुख्य जाति वित्त एवं विकास निगम निगमिटेड, जिला उपोग खादी ग्रामीण एवं जिला विकास बोर्ड, जिला हरिजन एवं सपाज एवं राष्ट्रीय धरण्याण विभाग विकास खण्ड, राष्ट्रीयकृत बैंकों से तथा राज्य के अन्य विभागों से संस्था की उन्नति हेतु अधिक सहायता प्रदान/अनुदान प्राप्त करना है। और केन्द्रीय लरकार की अन्य विभागों से वित्तीय सहायता लेकर हरिजन एवं निर्वल बर्तन तथा विकलांग, अंधे एवं पिछड़ी जाति के सदस्य तथा महिला परिवारों ये हैंड-पाइप, शौचालय एवं भवन बनवाने, मछली पालन एवं मुर्गी पालन के लिए सहायता प्रदान करना तथा मिनी डोरी, बैल, बकरी, पालन आदि।



महेन्द्रप्रिय

अधिकारी

4. जनता का सुधार करना, विश्वालायों के ब्रीडास्थलों एवं पुस्तकालयों तथा अम्बेडकर भार्कों की सहायता देना तथा उनकी मुस्ताक रूप से बनवाने में मूर्छा सहयोग करना है।

संत्य प्रतिचिन्ह

महेन्द्र प्रिय
अमर्देव दीक्षित
अमर्देव दीक्षित



गांडी के वस्त्र बनवाना सूती खादी, टेरीकाट खादी, रेशमी खादी और ऊनी खादी से नये-नये प्रकार के कपड़े बनवाना। पुरुष, तथा महिलाओं तथा बच्चों के बास्ते सभी प्रकार के छोटे-छोटे वस्त्र तैयार करना तथा नये-नये प्रकार के कपड़े पर कढ़ाई कराना तथा बाजारों में भेजना।

संस्था का उद्देश्य बेरोजगार युवक/युवतियों एवं निर्धन बच्चों के विकास हेतु तकनीकी शिक्षा संस्थानों एवं टंकण कला केन्द्र की स्थापना कर बच्चों एवं बेरोजगार युवकों को आत्म निर्भर नागरिक बनवाने का प्रयास करना।

संस्था का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना जैसे कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र व औद्योगिकी शिक्षा हेतु कालीन केन्द्र एवं स्थापना एवं सामाजिक क्षेत्र में मद्दनिषेध कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों का सर्वांगीण विकास करना।

8. अनुमूलित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए नसरी से लेकर डच्च शिक्षा तक व्यवस्था करना एवं विद्यालयों की स्थापना करना एवं निर्धन बच्चों एवं अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं उनके लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना।

9. विकास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु जिला समाज कल्याण बोर्ड, जिला प्रोवेशन विभाग जिला बाल विकास कार्यक्रम, जिला पिछड़ा वर्ग विभाग, जिला विकास बोर्ड से ऋण/अनुदान सहायता प्राप्त कर सकती है।

10. उपरोक्त विभागों से सहायता प्राप्त कर अनुमूलित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/सामाज्य जाति/अल्पसंख्यकों के बांगों के पुरुष/महिलाओं/छात्र-छात्राय/विधवाएँ घट्ठ जो गरीब परिवारों में शिक्षा, जनजाति महिला बाल विकास कार्यक्रमों वृक्षारोपण/संडको स्कूलों में प्रमाणित करवाना, सार्वजनिक स्थानों पर जल व्यवस्था एवं निःशुल्क अस्पतालों की स्थापना करवाना, विधवा पेंशन/वृद्धावस्था पेंशन का आयोज कर पुरुषों/महिलाओं, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना।

संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विकास कार्यों जैसे टंकण प्रशिक्षण केन्द्र, शार्टहेण्ड प्रशिक्षण, वैश्याओं के बच्चों की शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलाना। कक्ष 6 से 12 तक के विद्यालयों की स्थापना करना तथा डिग्री कालेज, कन्या महाविद्यालयों एवं उद्योग विद्यालयों की स्थापना करना, पॉलिटेक्निक निःशुल्क आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना, आश्रम पढ़ति विद्यालयों की स्थापना करना, भिक्षु स्कूलों की स्थापना करना 10 बैंड से लेकर 300 बैंड के अस्पतालों की निःशुल्क व्यवस्था करना।

सत्य प्रतिलिपि

उपर्युक्त प्रतिलिपि
अप्पे बोधाइटा व. स. विकास

11-91-93

छात्रावासों का निर्माण करना, ग्रामीण/शहरी सुलभ शौचालयों का निर्माण करवाना आदि। निःशुल्क मेचालन करना।

12. संस्था के उद्देश्यों हेतु उपरोक्त योजनाओं के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा, भोजन, कपड़ों की व्यवस्था करना तथा उपरोक्त बर्गों के विकास हेतु भली-भांति 30 प्र० एवं भारतवर्ष में विकास कराने का संस्था का एक मात्र उद्देश्य है।

13. संस्था के उद्देश्य हेतु, 50 बालक हेतु, बाल गृह एवं वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम एवं महिलाओं संस्कृति नित्यकल प्रोग्राम, प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु बी.एड., एम.बी.ए. स्थापना कर ज्ञात्र/छात्राओं को जागृत करना हमारा संस्था का एक मात्र उद्देश्य है।



MS

सल्ल अतिक्रियि

खाली दिनांक
संस्था का नाम
आवाद नं.

06/01/2010



आदी के वस्त्र बनवाना सूती खादी, टेरोकाट खादी, रेशमी खादी और ऊनी खादी से नये-नये प्रकार के कपड़े बनवाना। पुरुष तथा महिलाओं तथा बच्चों के वास्ते सभी प्रकार के छोटे-छोटे वस्त्र तैयार करना तथा नये-नये प्रकार के कपड़े पर कढाई कराना तथा बाजारों में भेजना।

संस्था का उद्देश्य बेरोजगार युवक/युवतियों एवं निर्धन बच्चों के विकास हेतु तकनीकी शिक्षा संस्थानों एवं टंकण कला केन्द्र की स्थापना कर बच्चों एवं बेरोजगार युवकों को आत्म निर्भर नागरिक बनाने का प्रयास करना।

संस्था का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना जैसे कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र व औद्योगिकी शिक्षा हेतु कालीन केन्द्र एवं स्थापना एवं सामाजिक क्षेत्र में मानविक व्यवस्थाओं का आयोजन कर लोगों का सर्वांगीण विकास करना।

8. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए नर्सरी से लेकर उच्च शिक्षा तक व्यवस्था करना। एवं विद्यालयों की स्थापना करना एवं निर्धन बच्चों एवं अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं उनके लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना।

9. विकास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु जिला समाज कल्याण बोर्ड, जिला प्रोवेशन विभाग जिला बाल विकास कार्यक्रम, जिला पिछड़ा बर्ग विभाग, जिला विकास विभाग से ऋण/अनुदान सहायता प्राप्त कर सकती है।

10. उपरोक्त विभागों से सहायता प्राप्त कर अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/सामाज्य जाति/अत्यसंख्यकों के बर्गों के पुरुष/महिलाओं/छात्र-छात्राय/विधवाएं चुदू जो गरीब परिवारों में शिक्षा, महिला बाल विकास कार्यक्रमों वृक्षारोपण स्कूलों विद्यालयों मध्यमत करवाना, सार्वजनिक स्थानों पर जल व्यवस्था एवं निःशुल्क अस्पतालों की स्थापना करवाना, विधवा पेंशन/वृद्धावस्था पेंशन का आयोज कर पुरुषों/महिलाओं, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना।

संस्था को उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विकास कार्यों जैसे टंकण प्रशिक्षण केन्द्र, शाटहैण्ड प्रशिक्षण, वैश्याओं के बच्चों की शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलाना। कक्ष 6 से 12 तक के विद्यालयों की स्थापना करना तथा डिग्री कालेज, कल्या महाविद्यालयों एवं उर्दू विद्यालयों की स्थापना करना। पांचिंटेक्निक निःशुल्क आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना, आश्रम पड़ति विद्यालयों की स्थापना करना, भिक्षु स्कूलों की स्थापना करना 10 बैठ से लेकर 300 बैठ के अस्पतालों की निःशुल्क व्यवस्था करना।

सत्य प्रतिलिपि

उप्रिक्षित
कम्प्यूटर विद्यालय
सौनाइटा व ५६ विहार

11-01-2021

सकता है. संस्था का अध्यक्ष आजीवन सदस्य है अध्यक्ष के परिवार का ही बन सकता है अन्य कोई नहीं बन सकता.

19 संस्था के अभिलेख

1. सदस्य समिति और कार्यालयों के कर्मियों का रजिस्टर.
2. कार्यवाही रजिस्टर.
3. एजेंडा रजिस्टर.
4. कैश बुक अन्य आदि.

संस्था के विधिवत की निस्तारण की कार्यवाही सोसायटी रजिस्ट्रेक्ट की धारा 13 व 14 के अंतर्गत होगी.

दिनांक.....

प्रबंधकारिणी समिति के हस्ताक्षर

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	रमेश कुमारी	- अध्यक्ष	१०-९१-९५३१
2.	मीना कुमारी	- उपाध्यक्ष	मी-११ कुमारी
3.	विजयलक्ष्मी	- वोषा अध्यक्ष	विजयलक्ष्मी
4.	इन्दुरेश्वर कुमारी	- सचिवी	इन्दुरेश्वर कुमारी

प्रमाणित
१०-९१-९५३१
आर.वी.वर्मा

अध्यक्ष/संस्थापक



संशोधित स्मृति पत्र

१. संस्था का नाम	भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति
२. संस्था का पता	लोदा बादशाहपुर, पोस्ट-खास, जनपद-एटा, ३०४०
३. संस्था का कार्यक्षम	समस्त ३० प्र० एवं भारत बर्ष
४. संस्था का उद्देश्य-	

का.प्र. शे.क्षे.पे. सिलाई काढाई बुनाई, कारीगरी एवं पुरबष/महिलाओं की उन्नति सिलाई हेतु सिलाई, बढ़ाव, बुनाई गरीबों एवं महिलाओं तक समूण ३० प्र० में विकास करना है।

२. विभिन्न सिलाई काढाई, बुनाई, के प्रशिक्षण की व्यवस्था के अन्तर्गत विकास क्षेत्रों में विकास करना और सहयोग करना।

३. गिलाई, काढाई, बुनाई के बास्ते विकास के उद्देश्यों की पृति हेतु ३० प्र० अनुसन्धित जाति वित्त एवं विकास निगम लिंगिटेड, जिला नदीय खादी ग्रामोद्योग एवं वित्तीय समिति, जिला हरिजन एवं समाज वित्तीय विभाग विकास खण्ड, राष्ट्रीय कृत बैंकों से तथा राज्य के अन्य विभागों से संस्था की उन्नति हेतु आर्थिक सहायता ऋण/अनुदान प्राप्त दररना है। और केन्द्रीय सरकार की अन्य विभागों से वित्तीय महायता लेकर हरिजन एवं निर्बल वर्ग तथा विकलांग, अंधे एवं पिछड़ी जाति के सदस्य तथा महिला परिवर्तों में हैंड-पाइप, शौचालय एवं भवन बनवाने, मछली पालन एवं मुग्गी पालन के लिए सहायता पहुँचाना तथा मिनी डेरी, बैंल, बकरी, पालन आदि।

महेन्द्रिनी
श्रीदेवी

४. जनता का सुधार करना, विद्यालयों के क्रीड़ास्थलों एवं पुस्तकालयों तथा अम्बेडकर भावना की सहायता देना तथा उनकी मुचारू रूप से बनवाने में पूर्ण सहयोग करना है।

सद्य प्रतिचिपि

कृष्ण निवाल

ममता

१-७/१२-१५/१

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, लोया बादशाहपुर पो० खास जिला-एटा की
कार्यकारिणी समिति की सूची वर्ष-2020-2021

क्रम सं० नाम	पता	पद	वाचनसाय
1—श्री रामबाबू वर्मा पुत्र स्व० श्री चिरंजीलाल	ग्राम लोया बादशाहपुर पोस्ट व जिला-एटा	अध्यक्ष	कृषि
2—श्रीमती मीना कुमारी पत्नीश्री रामबाबू वर्मा	उमानगर अम्बेडकर पीली कोठी के पास पोस्ट भद्रसी जिला-अलीगढ़	उपाध्यक्ष	कृषि
3—श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नीश्री अनिल कुमार गौतम	ग्राम गढ़िया पो० चिरगांव तह० जलेसर जिला-एटा	कोषाध्यक्ष	वांधी
4—श्री रघुरेश कुमार पुत्रश्री नेससेलाल	ग्राम बघौली पो० शाहदतनगर जनपद एटा	मंत्री	कृषि
5—श्रीमती छोटीदेवी पत्नीश्री लीलाधर	मोहल्ला लाला नगला जी०टी रोड सिकन्दराबाद हाथरस	कार्यालय सचिव कृषि	
6—श्रीमती लालवती पत्नीश्री महेश चन्द्र	मोहल्ला भोलेपुर पो० फतेहगढ़ फरुखाबाद	पदेन सदस्य	कृषि
7—श्री राजेश कुमार पुत्र स्व०श्री नेकसेलाल	ग्राम बघौली पो० शाहदतनगर जनपद एटा	आडीटर	कृषि
8—श्री महेन्द्रपाल सिंह पुत्रश्री देशराज	ग्राम व पो० लोयाबादशाहपुर एटा	पदेन सदस्य	कृषि

सत्य प्रतिलिपि

कार्यालय सचिव कृषि
कार्यालय सचिव कृषि

10-३-२०२०

२५८८५४५४२

पूर्ण प्रतिलिपि

२१-१-२१ लुमा०



द ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग, विकास समिति, लोयाबाद शाहपुर पोस्ट-खास
जनपद-एटा की प्रबन्धकारिणी समिति की संशोधित सूची वर्ष 2009-2010

क्र. =	नाम	पता	पद	व्यवसाय
१.	रामदायू बर्मा पुत्र श्री चिरंजी लाल	ग्राम व पोस्ट लोयाबाद शाहपुर जनपद- एटा	अध्यक्ष	कृषि
२.	ब्राम्हा प्रेम शिला पुत्री श्री राजपति याद	ग्राम भरललिया पोस्ट उरुवा बाजार जनपद - गोरखपुर	उपाध्यक्ष	कृषि
३.	भ्रामती गणगांडेवी पुत्री श्री नेकसेलाल	ग्राम बघोली पोस्ट शाहदन्तनगर जनपद - एटा	कोषाध्यक्ष	कृषि
४.	रमेश कुमार पुत्र श्री नेकसेलाल	ग्राम बघोली पोस्ट शाहदन्तनगर जनपद - एटा	मंत्री	कृषि
५.	श्रीमती छोटी देवी पत्नी श्री लोलाधर	मोहल्ला लाला नंगला, जी.टी. रोड, सिकन्द्राराम जनपद - माहायामा नगर (हाथरस)	कार्यालय सचिव	व्यापार
६.	श्रीमती लालवती पत्नी श्री महेशचन्द्र	मोहल्ला खोलेपुर पोस्ट फ़ारमार्क जनपद - फरुखाबाद	सुन्दर सदस्य	मजदुरी
७.	श्री रक्षपाल शर्मा पुत्र श्री शिवसहाय	ग्राम व पोस्ट लोयाबाद शाहपुर जनपद- एटा	आडीटर	कृषि
८.	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री देशराज	ग्राम व पोस्ट लोयाबाद शाहपुर जनपद- एटा	पदेन सदस्य	कृषि
९.	श्रीमती श्रोदेवी पत्नी श्री मुकेशचन्द्र	ग्राम नावली लालपुर पोस्ट बरतर जनपद - माहायामा नगर (हाथरस)	पदेन सदस्य	कृषि



१०.०१.२०११

मूलपूर्व सदस्यालय

सदस्य प्रमाणिति

द्वय निवेदक
लोयाबाद एटा ग्राम पंचायत
मुख्यमन्त्री कार्यालय, बाजार



(१०.०१.२०११)

१०.०१.२०११ (हाथरस)
१०.०१.२०११ (हाथरस)